सम्पादक
हारून रशीद
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक) 50 यु.एस. डॉलर	

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

सितम्बर, 2021 वर्ष 20 अंक 07

यदि जापानी बन जाओ तो मदद ख़ुदा की आयेगी

देश यह अपना पिछड़ गया है इसको आगे लाओ तुम
हिम्मत और मेहनत से अपनी आगे इसे बढ़ाओ तुम।।
बच्चे अपने करें पढ़ाई सुस्ती इसमें करें नहीं।
गुरुजन भी शरण में अपने कमी कोई करें नहीं।।
खेत तो ग़ल्ला देता रहा काम वहाँ पर रुका नहीं।
लेकिन नगरों में तो हमारे कुछ उत्पादन हुआ नहीं।।
जागो जागो नगरों वालों पूर्ति हानि की कर डालो।
साहस और मेहनत से अपने देश की सेवा कर डालो।।
मेहनत से तुम करो तरक़्क़ी मदद ख़ुदा की आयेगी।
यदि जापानी बन जाओ तो मदद ख़ुदा की आयेगी।।

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Editing by: Qamaruzzama-9452295052

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौ0 बिलाल अब्दुल ह़यी हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	07
समाज के विकारों को दूर करने	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	08
मानव एकता व समता की परिकल्पना	हज़रत मौ0 अबुल हसन अली नदवी रह0	09
इस्लाम में तालीम व तर्बियत	डॉ0 सईदुर्रहमान आजमी नदवी	13
इस्लाम एक मुकम्मल धर्म और	मौ0 सै0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी	16
बदगुमानी, टोह और उसका इलाज	मौलाना मुफ़्ती तक़ी उस्मानी	20
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	25
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	26
ऐकता का संदेष्टा	अल्लामा सैय्यद सुलैमान नदवी रह0	29
इस्लामी ज़िन्दगी और उसकी बुन्याद	मु0 गुफ़रान नदवी	32
तलाक़ औरत पर अत्याचार नहीं	मुहम्मद जैनुल आबिदीन मंसूरी	35
हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाइये	डॉ0 सय्यद अमजद अली	39
अपील बराए तामीर	इदारा	41
उर्दू सीखिए	इदारा	42

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़यी हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-अन्फ़ालः-

अनुवाद—

तो तुमने उनको नहीं मारा लेकिन अल्लाह ने उनको मारा और जब आपने मिट्टी फेंकी तो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी और यह इसलिए कि वे अपने पास से ईमान वालों पर ख़ूब एहसान करे, बेशक अल्लाह ख़ूब सुनने वाला जानने वाला है[1](17) यह सब तो हो चुका और अल्लाह इन्कार करने वालों की चाल को कमज़ोर कर के रहेगा(18) अगर तुम फ़ैसला चाहते हो तो फ़ैसला तो तुम्हारे पास आ चुका है और अगर तुम बाज़ आ जाओ तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है और अगर तुमने दोबारा हरकत की तो हम भी वही करेंगे और तुम्हारा जत्था कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आ सकता चाहे कितना ही ज़ियादा हो और अल्लाह तो ईमान वालों के साथ है[2](19) ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके पैग़म्बर की बात मानो और उससे मुँह मत फेरो जब कि तुम सुन रहे हो(20) और ऐसों की तरह मत हो जाना जो कहते हैं कि हमने सुन लिया जब कि वे सुनते ही नहीं(21) अल्लाह के यहां जानवरों में सबसे बुरे वही बहरे गूँगे हैं जो बुद्धि से काम ही नहीं लेते(22) और अगर अल्लाह उनमें किसी भलाई को जानता तो ज़रूर उन्हें सुनवा देता और अगर सुनवा दे तो वे जरूर पीठ फेर कर उलटे भागें(23) ऐ ईमान वालो! जब अल्लाह और उसके पैग़म्बर तुम्हें ऐसे काम पर बुलाएं जो तुम्हारे लिए जीवनदाई है तो उनकी बात मानो और जान लो कि अल्लाह इन्सान और उसके दिल के बीच आड़े आ जाता है और उसी की ओर तुम को एकत्र होना है[3](24) और उस फितने से बचो जो तुममें केवल ज़ालिमों पर नहीं आएगा और जान लो कि अल्लाह कठोर दण्ड देने वाला है[4](25) और याद करो जब तुम थोड़े थे, मुल्क में बे हैसियत थे डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे तो उसने तुम्हें ताक़त पहुँचाई और अपनी मदद से तुम्हें मज़बूती दी और पाक चीज़ें प्रदान कीं ताकि तुम आभारी हो[5](26) ऐ ईमान वालो! अल्लाह और पैग़म्बर से ख़यानत मत करना और अपनी धरोहरों में जानते बूझते खयानत मत करना[6](27) और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक परीक्षा है और बड़ा बदला तो अल्लाह ही के पास है(28) ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह का लेहाज़ रखोगे तो वह तुम्हें एक विशिष्टता प्रदान करेगा और तुम्हारे पापों पर परदा डाल देगा और तुम्हें माफ़ कर देगा और अल्लाह तो बड़े वाले हैं[8](29) और (याद कीजिए) जब काफ़िर आपके साथ धोखा कर रहे थे ताकि आपको क़ैद कर दें या क़त्ल कर डालें या निकाल बाहर करें वे अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह भी तदबीर कर रहा था और अल्लाह की तदबीर (उपाय) सबसे बेहतर है[4](30)

और जब उनको हमारी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं तो कहते हैं हम ने सुन लिया हम भी चाहें तो ऐसे ही कह डालें यह तो केवल पहलों के किस्से कहानियाँ हैं[9](31) और जब वे बोले कि ऐ अल्लाह अगर यह सच तेरी ही ओर से है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या दुखद अज़ाब हम पर ले आ(32) और जब तक आप उनमें मौजूद हैं अल्लाह हरगिज़ उनको अज़ाब नहीं देगा और अल्लाह उनको उस समय तक भी अज़ाब देने वाला नहीं है जब तक वे माफ़ी मांगते रहेंगे[10](33)

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. जब घमासान की जंग छिड़ गई तो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुट्ठी भर कंकरियाँ काफिरों की सेना पर फेंकी, खुदा की कुदरत से उसके टुकड़े हर एक की आँख में पहुँचे, सब आँखें मलने लगे, यकायक मुसलमानों ने हमला कर दिया और अल्लाह ने विजय प्रदान की।

2. मक्का के मुश्रिक कहा करते थे कि फैसला कब होगा, उन्हीं को सम्बोधित करके कहा जा रहा है कि एक प्रकार का फैसला तुम ने बद्र के मैदान में देख लिया कि कैसी चमत्कारिक रूप से तुम को कमज़ोर मुसलमानों से सज़ा मिली, तुम अगर नहीं माने तो याद रखो कि अल्लाह ईमान वालों के साथ है, तुम ही अपमानित होगे, आगे ईमान वालों को हिदायत दी जा रही है कि अल्लाह की मदद जब ही तुम्हारे साथ होगी जब तुम अल्लाह और उसके पैग़म्बर की बात मानोगे, अल्लाह के संविधान (शरीयत) का आदेश सुन लेने के बाद न मानना अल्लाह की मदद को लौटा देने वाली चीज़ है, यह काम मुनाफिकों और क़ाफिरों का है कि अगर उनको सुनवा भी दिया जाए जब भी मुँह फेर कर भागें।

3. फिर बल दे कर यह बात कही जा रही है कि अल्लाह और पैग़म्बर तुम्हें जिस काम की ओर बुलाते हैं जैसे जिहाद वगैरह, उसी में ज़िन्दगी है, पालन में देरी मत करो, खुदा जाने दिल कब किस ओर फिर जाए, अगर तुमने सुस्ती और कोताही की तो हो सकता है अल्लाह दिल पर मोहर लगा दे।

4. अगर कोई बुराई फैलती है और तुम उसको नहीं रोकते तो उसके वबाल से तुम भी बच नहीं सकते तुम दामन बचाओगे बद दिली फैलेगी शिकस्त होगी तो उसका भुगतान तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा।

5. अपनी कमी और कोताही की वजह से खुदा का आदेश मानने में सुस्ती मत दिखाओ अल्लाह ने तुम को मदीने में ला कर एक मदद दी और बद्र में विजय प्रदान की और तुम्हारे दुश्मनों की कमर तोड़ दी, बस अल्लाह का शुक्र करो।

6. अल्लाह और पैग़म्बर से ख़ियानत उनके आदेशों को न मानना है, इसी तरह बन्दों की ओर से जो अमानतें (धरोहर) दी जाएं उनमें भी ख़ियानत से बचो इस तरह इसमें सब हुकूकुल्लाह (अल्लाह के हक़) और हुकूकुल इबाद (बन्दों के हक़) आ गए।

7. तकवा के जीवन से विशिष्टता प्रदान होती है आदमी दूर ही से पहचाना जाता है और अल्लाह की मदद होती है जिस तरह बद्र युद्ध के अवसर पर हुई।

8. दारुल नदवा में ये राए–मश्विरे हो रहे थे अंततः अबू जहल की राय हुई कि अरब

शेष पृष्ठ ...38..पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

कुर्आन में जन्नत की विशेषताओं का बयानः—

अनुवादः *बेशक परहेज़गार बागों और चश्मों में होंगे (कहा जायेगा) दाखिल हो जाओ अम्न और सलामती के साथ, और जो कुछ उनके दिलों में रंजिश थी उसको हम निकाल डालेंगे तो वह भाई—भाई हो जायेंगे आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे न उनको वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वहां से निकाले जायेंगे। (सूरः हिज्र—4)*

दूसरी जगह इरशाद हैः— ऐ मेरे बंदो! आज के दिन से न तुम्हें कोई खौफ होगा और न तुम गमगीन होगे, जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाये और मुसलमान रहे दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारी इज़्ज़त की जायेगी, उन पर सोने चाँदी के रिकाबी प्यालों का दौर चलाया जायेगा और जो कुछ वह चाहेंगे और जिससे उनकी आँखें लज़्ज़त पायेंगी वह सब जन्नत में मौजूद होगा और तुम हमेशा उसमें रहोगे, यह वही जन्नत है जिसके तुम वारिस बनाये गये हो, उन अमलों के बदले जो तुम करते थे तुम्हारे लिए यहाँ बहुत ज़ियादा मेवे हैं जिनमें से खा रहे हो।

(सूरः जुखरूफ—7)

जन्नत की ज़िन्दगीः—

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जन्नती, जन्नत में खायेंगे पियेंगे लेकिन न वहां मलमूत्र होगा, न थूक, न खखार, खाना एक खुशबूदार डकार के साथ हज़म हो जायेगा, और दुन्या की ज़िन्दगी तो सांस लेने पर निर्भर है लेकिन उस आलम में सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह सांस लेने के क़ायम मक़ाम होगा और यही रूह (आत्मा) के सुकून का सबब होगा। (मुस्लिम)

जन्नत की नेमतें इन्सानी सोच से ऊपरः—

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने अपने नेक बन्दों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आँख ने देखी न किसी ने सुनीं, और न किसी के दिल में ख्याल गुज़रा, फिर फरमाया अगर तुम चाहो तो यह आयत पढ़ लो—

अनुवादः *कोई शख्स नहीं जानता जो छुपा रखी गयी है उनके लिए आँखों की ठंढक!*

खुशनसीब जन्नतीः—

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया सबसे पहले जो लोग जन्नत में दाखिल होंगे उनके चेहरे चौदहवीं के चाँद की तरह चमकेंगे और वहां न मल होगा न मूत्र, न थूक, न खकार, उनकी कंघियाँ सोने की होंगी, उनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा, उनकी अंगेठियों में खुशबूदार अगर और ऊद सुलगेगा, उनकी बीवियाँ हूरे ऐन (बड़ी आँख वाली) होंगी, सब खुश अखलाक़ आपस में मिल जुल कर रहने वाली होंगी, और सब अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत में होंगे और उन्हीं के क़द की तरह साठ साठ गज़ के होंगे। (बुखारी—मुस्लिम)

शेष पृष्ठ ....12..पर

समाज के विकारों को दूर करने के कुर्आनी आदेश

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

ऐ मुस्लिम पुरूषों के समूह! तुम में से कोई दूसरे पुरुषों के समूह की हंसी न उड़ाया करे, हो सकता है जिनकी हंसी उड़ायी जा रही है अल्लाह के निकट हँसी उड़ाने वालों से बेहतर हो, इसी प्रकार औरतों के समूह को चाहिए कि वह दूसरी औरतों के समूह की हंसी न उड़ायें, हो सकता है जिन की हंसी उड़ा रही हैं वह अल्लाह के निकट हंसी उड़ाने वालों से बेहतर हो।

ऐ मुसलमानो! तुम में से कोई अपने भाई की निन्दा न किया करे।

ऐ ईमान वालो! तुम में से कोई अपने भाई को बुरे नाम से न पुकारा करो, इससे उसकी तौहीन होती है, जैसे कोई लंगड़ा हो, तो उसको ओ लंगड़े न कहे, एक आँख वाला हो तो उसको ओ काने न कहे।

अगर किसी में किसी दूसरे की हँसी उड़ाने की आदत है या अपने भाई की निन्दा करने की आदत है या अपने भाई को बुरे नामों से पुकारने की आदत है तो वह ईमान वालों के लिए बहुत बुरा है, उसको तौबा करना चाहिए, अगर उसने तौबा न की तो उसकी गिन्ती अत्याचार करने वालों में होगी।

ऐ ईमान वालो! बहुत ज़ियादा अटकल न लगाया करो, इसलिए कि बाज़ अटकल पाप है, जैसे किसी व्यक्ति के विषय में अटकल से कहा कि यह मदिरा पान करता होगा परन्तु वह मदिरा पान से दूर रहता है तो यह बहुत बड़ा पाप है।

ऐ ईमान वालो! किसी की टोह में न रहा करो किसी से कोई ग़लती हो गयी तो उसने तौबा कर ली अल्लाह तआला ''सत्तार व ग़फ़्फ़ार'' है, उसकी गलती को छुपाये रखा तो तुम टोह करके उसको ज़ाहिर न करो।

ऐ ईमान वालो! अपने भाई की ग़ीबत न किया करो अर्थात् पीठ पीछे उसकी निन्दा न किया करो यह पीठ पीछे निन्दा बड़ा पाप है जैसे अपने मुर्दा भाई का माँस खाना क्या तुम में से कोई पसन्द करेगा कि अपने मुर्दा भाई का माँस खाये, हरगिज़ हरगिज़ ना पसन्द करेगा तो चाहिए कि अपने भाई की उसकी पीठ पीछे निन्दा भी न किया करे, यहाँ याद रहे ग़ीबत पीठ पीछे की उस निन्दा को कहते हैं जो वास्तव में उसमें मौजूद हो यदि वह निन्दा वास्तव में उसमें मौजूद न हो तो वह तो बुहतान (दोषारोपण) है।

जिस भाई में यह सातों सामाजिक विकार हों उसको चाहिए अल्लाह तआला से तौबा करे अल्लाह तआला बहुत तौबा सुनने वाला और बड़ी दया कृपा वाला है।

अल्लाह तआला फरमाते हैं ऐ लोगो! हमने तुम को एक मर्द और एक औरत से पैदा किया अर्थात जान लो कि तुम ''आदम और हव्वा'' की संतान हो फिर तुम को गोत्रों में, परिवारों में, वंशों में, कुल में, बाँट दिया ताकि तुम परिवार और वंश से पहचाने जा सको, परिवार और वंश से किसी की बड़ाई और श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती, अल्लाह के निकट श्रेष्ठ वह है, उत्तम वह है जो अल्लाह से बहुत डरने वाला है। और अल्लाह का बहुत लिहाज करने वाला है, निःसंदेह अल्लाह बहुत जानने वाला है और अत्यधिक ख़बर रखने वाला है, कोई चीज़ उससे छुपी नहीं है।

(सूरे हुजुरात आयत नं0 11 से 13 तक देखिए)

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे.....

मानव एकता व समता की परिकल्पना

–हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी (रह0) –अनुवादकः मुहम्मद हसन अंसारी

इस्लाम से पहले समाज की दशाः–

मानव सभ्यता ऐसे युग से भी हो कर गुज़री है जब उसके मन मस्तिष्क पर कुछ एक जातियों व क़बीलों के श्रेष्ठ व अलौकिक होने का विचार छाया था। अतएव कुछ वंशजों और पीढ़ियों के लोग अपना वंशज सूर्य, यन्द्र व ईश्वर से मिलाते थे कुर्आन में यहूद व नसारा के ऐसे कथनों का उल्लेख आया हैः–

अनुवादः– *''यहूद व नसारा (ईसाई) ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं''।*

(सूरः मायदा–18)

मिस्र के फ़िरऔन का विचार था कि वह, सूर्य देवता 'र' के वंशज से हैं। भारत में 'सूर्य वंशी' व 'चन्द्र वंशी' परिवारों का उल्लेख मिलता है। ईरान के शासक किस्रा को यह गर्व था कि उनकी शिराओं में ईश्वर का ख़ून दौड़ रहा है इसलिए देशवासी उन्हें पवित्र समझते थे। किस्रा परवेज़ (सन् 590–628 ई0) के नाम के साथ यह विशेषण जोड़ा जाता था 'वह खुदाओं में अमर इन्सान और इन्सानों में खुदा–ए–लासानी है, उसकी वाणी ऊँची और उसका सत्कार उच्च, वह सूर्य के साथ उदय होता और अपने प्रकाश से अन्धेरी रातों को प्रकाशित करता है।''

रोम के शासक 'क़ैसर' भी ख़ुदा समझे जाते थे और उनकी पदवी 'AUGUST" (महान) होती थी। चीनी अपने बादशाह को आसमान का बेटा समझते थे, उनका विश्वास था कि आसमान नर और ज़मीन मादा है और दोनों के संयोग से सृष्टि की रचना हुई है। और बादशाह 'ख़ता प्रथम' इस जोड़े की पहली सन्तान हैं। अरब अपने अलावा सबको अजम (बेज़बान) समझते थे कुरैश का क़बीला अपने को अरब के तमाम क़बीलों से श्रेष्ठ समझता था और हज के अवसर पर भी अपने इस विशिष्ट सम्मान को बनाये रखता था वह लोगों से मेल–जोल नहीं रखता था और 'अरफ़ात' में हाजियों के साथ जाने के बजाय 'हरम' ही में ठहरा रहता था और 'मुज्दल्फ़ा' में ठहरता था और कहता था कि ''हम अल्लाह के शहर वाले और उसके घर के रहने वाले हैं'' और कभी कहता था कि ''हम विशिष्ट हैं।''

हिन्दुस्तान अपने पड़ोसी देशों में वर्ग भेद और मनुष्य मनुष्य के बीच अन्तर करने में सबसे आगे था। उसकी सामाजिक व्यवस्था ऐसी कठोर थी जिसमें कोई नर्मी व लचक न थी। उसे धार्मिक समर्थन भी प्राप्त था। वह बाहर से आने वाले धर्म के ठेकेदार ब्राह्मणों की भलाई पर आधारित थी। उसमें ख़ानदानी पेशों और नस्ल व वंशज को आधार बनाया गया था और उसे राजनीतिक व धार्मिक कानून की हैसियत भी प्राप्त थी जिसे हिन्दुस्तान के धार्मिक ठेकेदारों ने बनाया था। अतः वह समाज का सामान्य कानून बन गया। यह सामाजिक व्यवस्था भारतवासियों को चार वर्णों में बाँटती हैः–

1. ब्राह्मण 2. क्षत्रिय
3. वैश्य 4. शूद्र

शूद्र सब से नीचा वर्ग है जिसे सृष्टि के निर्माता ने अपने पैरों से पैदा किया और उसका कर्तव्य शेष तीन वर्णों की सेवा करना है।

वर्ण–व्यवस्था ने ब्राह्मण को प्रतिष्ठा और केन्द्र बिन्दु की हैसियत दी और उसे मोक्ष प्राप्त ठहराया चाहे वह अपने पापों से तीनों लोग को क्यों न नष्ट करदे। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसे किसी दशा में मृत्यु दण्ड नहीं दिया जा सकता, इसके विपरीत शूद्र को माल जमा करने, ब्राह्मण के साथ बैठने और उसे छूने या पवित्र ग्रन्थों की शिक्षा पाने का अधिकार नहीं।

उद्यमी जुलाहों, मछेरों, क़स्साबों, नटों, मेहतरों को 'मनुस्मृति' के आदेशों के अनुसार शहर के अन्दर रहने की अनुमति नहीं, इसलिए वह बाहर ठहरते थे। और अपने काम करने के लिए शहरों में सूर्योदय के बाद आते थे और सूर्यास्त से पहले शहर से निकल जाते थे। इस व्यवस्था के कारण उन्हें नागरिक जीवन की सुख–सुविधा से लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त न था और वह एक दरिद्र जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थे।

भारत आते समय मुसलमान अपने साथ जो सब से अनोखी चीज़ लाये वह मानव समता की परिकल्पना थी जिससे भारत परिचित न था। मुस्लिम समाज में न वर्ण व्यवस्था थी, न शूद्र थे, न कोई जन्म से अपवित्र था, न किसी पर शिक्षा की रोक थी, न ही पेशों का स्थायी बँटवारा था। वह मिल जुल कर रहते, एक साथ खाते, सब एक साथ पढ़ते लिखते और अपनी इच्छानुसार पेशा अपनाते थे। यह भारतीय समाज के लिए एक चुनौती थी, मगर इसने भारत को बहुत लाभ पहुँचाया और वर्ग–भेद की कटुता को कम किया और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का राष्ट्रीय प्रेरक बना जिसने समाज सुधारकों को उत्प्रेरित किया और छुआ–छूत को समाप्त किया। इस ऐतिहासिक तथ्य को भारत के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस प्रकार स्वीकार किया हैः–

'भारत के इतिहास में उत्तर–पश्चिम भारत के विजेयताओं और इस्लाम के आगमन का बड़ा महत्व है, उसने हिन्दू समाज की बुराइयों को उजागर कर दिया। उसने वर्णव्यवस्था, छुआछूत और भारत के विश्व से अलग होने को भी उजागर कर दिया। इस्लामी भाईचारे व समता की भावना ने, जिस पर मुसलामन ईमान व विश्वास रखते थे, हिन्दुओं के मन–मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और इससे विशेष कर वह वंचित लोग अधिक प्रभावित हुए जिन पर भारतीय समाज ने बराबरी व मानव अधिकारों के द्वार को बन्द कर रखा था''।

हिन्दू धर्म पर इस्लाम के प्रभाव से दक्षिण में भक्ति–आन्दोलन ने जन्म लिया जो सारे देश में फैल गया इस आन्दोलन का उल्लेख करते हुए डॉ0 तारा चन्द लिखते हैंः–

''.....उनके साथ धर्म निष्ठ लोग थे जिन्होंने जनसाधारण को सम्बोधित किया, वह मौखिक उपदेश देते थे और जनसाधारण की भाषा प्रयोग करते थे उनमें अधिकांश कविता भी करते थे, उनकी कविता लोगों के दिलों में घर कर जाती थी। उन्होंने गूढ़ शब्दावली का

प्रयोग नहीं किया। बुतपरस्ती, जातपात, दिखावा, असमानता की मलामत करते। उनकी निष्ठा, और उनकी पवित्रता और शालीन जीवन ने जनता पर गहरा प्रभाव डाला।

उन लोगों ने आधुनिक भारतीय भाषाओं की आधार शिला रखी। उनकी लगन ने जीवन को गतिशील बनाया और लोगों को उच्च तथा निःस्वार्थ सेवा के लिए तैयार किया। पन्द्रहवीं, सोल्हवीं तथा सत्तरहवीं, शताब्दी में उन्होंने देश के प्रत्येक भाग में एक अजीब उमंग पैदा कर दी जिसे उनके अध्यात्मिक मूल्यों की उठान के बिना समझना कठिन है। यह सदियाँ उन ध्वनियों से गूंज रही हैं जिनमें चेतना भी है और उत्साहवर्धन भी। यह लोग वास्तविक अर्थ में उदार थे। उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी उनमें से अधिकांश निचले तब्क़े के थे। और उन्होंने जन्मजात शालीनता की काल्पनिक विचार–धारा को झुठलाया''।

प्रो0 गिब (GIBB) विश्व की सभ्यता के लिए इस्लाम की आवश्कयता पर बल देते हुए लिखते हैंः–

''इस्लाम को मानवता की अभी एक और सेवा करनी है,... लोगों के पद, अवसर तथा कर्म के अनुसार विभिन्न वंशजों के बीच समानता स्थापित करने में किसी सोसाइटी ने उसकी जैसी सफलता नहीं प्राप्त की है। अफ़्रीका, भारत और इन्डोनेशिया के विशाल और जापान के सीमित मुस्लिम समाज से यह बात प्रकट होती है कि किस प्रकार इस्लाम विभिन्न वंशजों, परम्पराओं अमिट मत–भेदों को गला कर समाप्त कर देता है। यदि पूरब और पश्चिम की महान सोसाइटियों में विरोध के बजाय पारस्परिक सहयोग पैदा करना है तो इसके लिए इस्लाम की सेवायें प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

ब्रिटेन के विख्यात दार्शनिक व इतिहासकार 'टाइन बी' इस्लामी समानता को स्वीकारते हुए लिखते हैंः–

''इन्सानों के बीच ऊँच–नीच की भावना को समाप्त करना इस्लाम के महान कार्यों में से एक है और आधुनिक युग में तो इस्लाम की यह नेकी समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यद्यपि कुछ दूसरी हैसियतों से अंग्रेज़ी बोलने वाले राष्ट्रों की सफलतायें मानव संसार के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं किन्तु इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि नस्ली भावनाओं (रंग–भेद) के ख़तरनाक मामले में यह अभागे रहे हैं''।

भारत की विख्यात व विशिष्ट महिला सरोजनी नाइडो इस्लाम के इन्सानी भाई–चारे व समता को इस प्रकार स्वीकार करती हैः–

''यह (इस्लाम) पहला धर्म था जिसने प्रजातन्त्र का प्रचार किया और उसे व्यवहार में लाया। मस्जिद में अज़ान के साथ इबादत करने वाले जमा हो जाते हैं। और दिन में पाँच बार 'अल्लाहुअकबर' के ऐलान पर एक साथ झुकते हैं। इस्लामी प्रजातन्त्र पर अमल करते हैं। मैंने बार बार महसूस किया है कि इस्लाम कर्म के जोड़ व एकता से एक इन्सान को दूसरे इन्सान का भाई बना देता है। जब आप लन्दन में किसी मिस्री, अल्जीरियाई, हिन्दुस्तानी और तुर्क से मिलते हैं तो इसका महत्व नहीं होता कि एक मिस्र का है और दूसरा हिन्दुस्तान का''।

प्रसिद्ध अफ्रीकी लीडर 'माल्कोम एक्स' अपनी आत्म कथा में लिखते हैं कि:–

''इन इस्लामी देशों में पिछले ग्यारह दिनों से मैंने एक प्लेट में खाना खाया और एक ही गिलास में पानी पिया है और उन्हीं के साथ एक ही कालीन पर सोया हूँ..... मैंने इन में वही निष्ठा पायी है जिसकी अनुभूति मुझे नाइजीरिया, सूडान और घाना के काले अफ़्रीक़ी मुसलमानों में हुई थी।

हम सब भाई–भाई थे। क्योंकि अल्लाह पर ईमान ने हमारे मन मस्तिष्क और बर्ताव से ''गोरी रंगत'' को समाप्त कर दिया था। मेरी समझ में आ गया कि अमरीका के लोग तौहीद पर ईमान ले आयें तो शायद वह भी मानव एकता को स्वीकार कर लें। और दूसरे लोगों की तुलना विरोध अथवा रंग–भेद के आधार पर करना बन्द कर दें। मैंने यह बात गाँठ बान्ध ली कि मैं अमरीका वासियों को बताऊँगा कि यहां हर रंग के इन्सानों में वास्तविक भाई–चारा है। यहां कोई व्यक्ति अपने आप को अलग थलग नहीं महसूस करता। न किसी में हीनता की भावना है न किसी में बरतरी की भावना।''

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी .....

बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में है कि उनके बर्तन सोने चाँदी के होंगे और उनका पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा, हर मर्द की दो दो हूरें होंगी, वह हूरें ऐसी छरेरे बदन की दुबली पतली होंगी कि उनकी पिण्डली का गोरा गोश्त अन्दर से दिखाई देगा और वह आपस में दो जिस्म एक जान हो कर रहेंगे और सुब्ह शाम अल्लाह की पाकी बयान करेंगे।

हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से सवाल किया कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जा के आदमी का क्या मक़ाम होगा, अल्लाह तआला ने फरमाया जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो चुकेंगे तो वह शख्स आयेगा उससे कहा जायेगा कि तू भी जन्नत में दाखिल हो जा, वह कहेगा ऐ अल्लाह तमाम मंजिलें तो भर चुकी हैं, भला मैं कैसे दाखिल हो सकता हूँ, तो उससे कहा जायेगा अगर दुन्या के एक बादशाह के मुल्क के बराबर तुझे मुल्क दे दें तो तू उस पर राज़ी हो जायेगा, वह कहेगा ऐ परवरदिगार मैं राज़ी हूँ तो उससे कहा जायेगा कि तुझको उससे पाँच हिस्सा ज़ियादा दिया, वह कहेगा ऐ रब मैं राजी हूँ, फिर कहा जायेगा पाँच हिस्से के अलावा दस हिस्से और ज़ियादा, फिर तेरे लिए हर वह चीज़ मौजूद होगी जिसको तेरा जी चाहे और जिससे तेरी आँखों को लज़्ज़त हासिल हो, वह कहेगा परवरदिगार मैं राज़ी हूँ, हजरत मूसा अलै0 ने अर्ज किया खुदा ने फरमाया वह लोग ऐसे हैं कि मैंने अपने हाथ से उनकी इज़्ज़त का वृक्ष लगाया और उस पर मुहर लगा दी वह ऐसा है कि न किसी आँख ने देखा न किसी कान ने सुना, न किसी के दिल में उसका तसव्वुर आया।

(मुस्लिम)

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

इस्लाम में तालीम व तर्बियत का मकाम

—मौलाना डॉ0 सईदुर्रहमान आजमी नदवी

—हिन्दी इम्लाः हुसैन अहमद

तालीम व तर्बियत का अमल पिछले युग में एक इबादत की हैसियत रखता था, और लोग उसको फज़ीलत व सआदत हासिल करने का ज़रीआ समझते थे और शरीफाना इंसानी तअल्लुक़ात को मज़बूत करने और इंसान को अल्लाह से जोड़ने का एक मज़बूत ज़रीआ क़रार दिया जाता था, यही वजह है कि इंसानी तारीख़ उन महान शख़्सियतों के जिक्र से भरी हुई है और दुन्या की इल्मी तारीख़ उन्हीं अज़ीम शख़्सियतों के फ़ैज़ का नतीजा है और इंसानी ज़िन्दगी को बा मक़सद बनाने में उनका किरदार बहुत अज़ीम है, अगर माज़ी की तरफ़ एक निगाह डालें तो हमें इंसानी ज़िन्दगी में मक़सदियत की रूह फूँकने और निहायत बड़े पैमाने पर नेकी को फैलाने और बुराई को मिटाने की मुख़्लिसाना कोशिशें निहायत वाज़ेह तौर पर नज़र आयेंगी, जहाँ माल व दौलत, मंसब व कुर्सी का कोई गुज़र नहीं था और तालीम व तर्बियत के पेशे को इख़्तियार करने और मिसाली किरदार के आला तरीन मक़ाम तक पहुंचने का हक़ीक़ी सबब यही हुसूले इल्म का सच्चा जज़्बा था, इसी प्राकृतिक बुन्याद पर तालीम व तर्बियत का निज़ाम बनाया जाता था और उसमें हर चीज़ की रिआयत रखी जाती थी माहौल और समाजी फ़ज़ा, क़ौमों और जमातों के तर्कसंगत मेयार को कभी नज़र अंदाज़ नहीं किया गया इसी बिना पर तालीम व तर्बियत का हक़ीक़ी मक़सद माहरीने तालीम की नज़रों में कभी ओझल नहीं होने पाया और निसाबे तालीम का नुमायां वस्फ़ मक़सदियत की रूह हुआ करती थी, और दुन्या में बसने वाली तमाम क़ौमों और एहसास ज़िम्मेदारी से भरपूर इंसानी मुआशरे में रहने वाले तमाम तत्वों यहां तक कि बड़ी बड़ी हुकूमतों का यही मक़सद हुआ करता था, और यही वह ज़रीआ था जिससे अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध मज़बूत होते थे चाहे वह किसी प्रकार के हों, राजनीतिक, सांस्कृतिक, तमद्दुनी और आलमी पैमाना पर तमाम क़ौमों के दरमियान एतिमाद व एतिबार की फ़ज़ा क़ाइम हुआ करती थी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तालीम व सक़ाफत के वसाइल और उसके निज़ाम को पसंदीदा जज़्बात के उभारने और इन्तिक़ाम की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो और न कभी तिजारती सामान की तरह उसको बेचने और मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया।

लेकिन इंतिहाई तअज्जुब ख़ेज़ और ग़ैर इंसानी सूरते हाल यह है कि इस्राईल ने अपने मक़बूजा इलाक़े में यहूदी बच्चों और नौजवानों के लिए जो निसाबे तालीम मक़र्रर किया है, वह अरब और मुसलमानों से बे हिसाब नफरत, बुग्ज़ और दुश्मनी की बुन्याद पर क़ाइम है, हालांकि इल्म व तहज़ीब और साइंस और टेक्नालोजी के इस तरक़्क़ी याफ़्ता दौर में ऐसे ख़तरनाक और नाक़ाबिले क़बूल निसाब को जारी करने की कहीं

भी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हक़ीकत यह है कि इस्राईल ने ऐसे द्वोषपूर्ण निसाबे तालीम को अपने मज़बूत पंजों में जकड़ रखा है और उससे हटने के बजाये हर मौक़ा पर उसका मुज़ाहरा करता है, बाज़ क़ाबिले एतिमाद शख़्सियतों ने उस इस्राईली निसाबे तालीम का जाएज़ा लिया है और उसके बाज़ निहायत ख़तरनाक पहलुओं की निशान दही की है, उनमें सब से ख़तरनाक बात यह है कि हर इस्राईली बच्चे के एक कान में यह सूर फूंका जाता है कि यहूदी पूरी दुन्या में सबसे ज़ियादा बुलन्द और पसंदीदा शख़्सियत के मालिक हैं और बच्चे के दूसरे कान में उम्मते अरबिया के बारे में निहायत ज़िल्लत आमेज़ और घटिया यह आवाज़ पहुँचाई जाती है कि अरब क़ौम दुन्या की सबसे ज़लील तरीन मख़लूक़ हैं कीड़े मकोड़े से ज़ियादा उनकी हैसियत नहीं है, लिहाज़ा उनको क़त्ल करना इंतिहाई ज़रूरी अमल है, जब यहूदी बच्चा स्कूल जाता है तो निसाब की मुक़र्ररा किताबों के अन्दर यह पढ़ता है कि यहूदी क़ौम अल्लाह की मख़लूक़ में सबसे ज़ियादा अफ़ज़ल और अरब क़ौम सबसे ज़ियादा ज़लील और नापाक है, और वह हर तरह की इज़्ज़त व शराफत से दूर है, लिहाज़ा उस को गुलाम बनाना और उनके साथ गुलामों का मुआमला करना एक लाज़िमी क़ौमी फरीज़ा है और जूँ–जूँ यहूदी बच्चा अपनी तालीम में आगे बढ़ता जाता है, अपनी निसाबी किताबों में यह पढ़ता है कि अरब क़ौम डाकू हैं, दशहत पसंद हैं, शर व फसाद के फैलाने वाले हैं, उनके बाप–दादा ने यहूदियों को इस क़द्र नुक़्सान पहुँचाया कि उसकी भरपाई ना मुमकिन है, इस बिना पर उनके साथ बुरा सुलूक करना इबादत की एक क़िस्म है, और जब भी उनकी निसाबी किताबों में लफ़्ज़ अरब आता है तो उन का वस्फ़ बयान किया जाता है कि वह चोर और डाकू हैं, और हलाल की औलाद नहीं है, और वह अपने बाप–दादा के ज़माना से यहूदियों के खून के प्यासे हैं।

निसाबी किताबों के ज़रीआ वह अपनी औलाद को जंगी तरीक़ों से वाकिफ कराते हैं, ताकि वह उम्मते अरबिया से बदला ले सकें, यही वजह है कि सिकेन्ड्री स्कूल के मज़ामीन पूरे करने के बाद हर बच्चे के लिए अ़सकरियत (सैन्य शिक्षा) का सीखना लाज़िमी मज़मून की हैसियत रखता है, और लाजिम हो जाता है कि बच्चे और बच्चियाँ फ़ौजी तर्बियत इस्राईली माहिरीन जंग से हासिल करें, बरतानिया से प्रकाशित होने वाले वाले ''इन्टरनेशनल हराल्ड तरी बून'' अख़्बार ने अपने 18 दिसम्बर 2004 ई0 के अंक में एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें इस्राईल के निसाबे तालीम का जायज़ा लिया गया है और जायज़ा की रिपोर्ट में मज़कूर है कि इस्राईली निज़ामे तालीम व तर्बियत और उसका निसाब हद से ज़ियादा ख़तरनाक है।

इस हक़ीक़त का पता लगाने के लिए पाकिस्तान के मशहूर सहाफी कुदरतुल्लाह शाहब ने एक गैर मुस्लिम की हैसियत से इस्राईल का दौरा किया, वह संयुक्त राष्ट्र के

मातहत यूनीसेफ तंज़ीम के जरीआ वहां पहुँचे और इस्राईली निसाब तालीम की उन किताबों को हासिल करने में कामयाब हो गये जो मुसलमानों और अरबों के ख़िलाफ निहायत ख़तरनाक मवाद पर मुश्तमिल हैं और उन किताबों को संयुक्त राष्ट्र के ज़िम्मेदारों के सामने पेश किया, ताकि उसका हल निकाला जा सके, लेकिन वाक़िआ यह है कि यह किताबें जान बूझ कर लापरवाही और ग़फ़लत का शिकार हो गईं और उस का कोई नतीजा नहीं निकल सका, ज़ाहिर है कि वह इंसानी मसायल जो अरब और इस्लामी दुन्या से तअल्लुक रखते हों किस तरह तवज्जोह के लायक़ हो सकते हैं, जब कि अन्तराराष्ट्रीय स्तर पर यह तय हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र का सिक्रेट्री जनरल चाहे कोई भी हो लेकिन असिस्टेंट सिक्रेट्री जनरल हमेशा इस्राईली होगा, और उसको नायब सिक्रेट्री जनरल लिखा और कहा जाएगा।

यहीं से मगरिबी दुन्या की तरफ से इस्लाम के निज़ामे तालीम व तर्बियत और उसके वसायल को बदल कर रख देने पर सख़्त इस्रार और दबाव पाया जाता है और उसको मगरिबी निज़ामे तालीम व तर्बियत के मुताबिक़ तैयार करने की कोशिशें पूरी ताक़त से जारी हैं, ताकि दुन्या भर के इस्लामी मदारिस और जामियात में एक नये निसाबे तालीम को तश्कील दे कर उसे बिला ताख़ीर जारी कर दिया जाए, इस मक़सद को पूरा करने के लिए मग़रिब ने बहुत पहले से मुस्लिम समाज और सोसाइटियों में वैचारिक हमले का सिलसिला जारी कर रखा है ताकि उनको सही रास्ते से हटा कर व्यक्तिगत और सामूहिक हैसियत से लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात के बीज बो सकें और यह साबित कर सकें कि इस्लामी निज़ामे जिन्दगी अपनी सलाहीयत खो चुका है, वैचारिक हमलों का यह तरीक़ा निहायत जारहाना अंदाज़ में वहां के तमाम तालीमी इदारों पर लाज़िम क़रार दे दिया गया है।

लेकिन हमें नये ढंग से इस्लाम के निष्पक्ष और संतुलित निज़ामे ज़िन्दगी का जायज़ा लेना चाहिए कि वह इल्म व अक़ीदा और आमाल व अख़्लाक़ पर आधारित है और वह दाइमी तरीक़े से इन्सान को क़यादत का अहल बनाता है और हर तरह की ख़ुद ग़र्ज़ी और मस्लहत बीनी से दूर है फिर यहीं से वह उम्मते वसत तैयार होती है जिसको पूरी दुन्या के लिए गवाही व क़यादत की ज़िम्मेदारी अता की गई है, अल्लाह तआला का फरमान है ''हम ने तुम को एक उम्मते आदिल बनाया ताकि तुम गवाह रहो लोगों पर और रसूल गवाह रहें तुम पर''।

(सूरः अलबक़राः 143)

यही संतुलन और वसतीयत इस्लामी तहज़ीब का इम्तियाज़ है और उम्मते मुस्लिमा उस की अलमबरदार है और इसी इम्तियाज़ की बिना पर उम्मते मुस्लिमा ने तमाम क़ौमों और दीगर उम्मतों पर ज़िन्दगी के तमाम मैदानों में अपनी वरीयता बाक़ी रखी और भूली बिसरी इन्सानियत को सिराते मुस्तक़ीम की नेमत अता की, जब कि माद्दी

शेष पृष्ठ.....19..पर...

इस्लाम एक मुकम्मल धर्म और स्थाई सभ्यता

—मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

इस्लाम एक मुकम्मल धर्म और स्थाई सभ्यता है, ज़िंदगी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसके लिए इस्लाम ने निर्देश न दिये हों, अक़ीदों (मान्यताओं) इबादतों और मामलात के साथ साथ चरित्र व व्यवहार के सन्दर्भ में भी इस्लाम ने ऐसी बारीकियां पेश की हैं जो मानव जीवन केलिए बहुमूल्य उपहार हैं, दुन्या के धर्मों में आमतौर पर मान्यताओं व पूजा—पाठ को ही धर्म का रूप दिया गया है, घरेलू रहन सहन और आचार—व्यवहार के संदर्भ में बहुत कम निर्देश हमें धर्म के रूप में नज़र आते हैं, मुल्कों के संविधान में इस से सम्बंधित कुछ विवरण सामने आते हैं मगर वो भी बहुत ही अपूर्ण, इस्लाम ने समाजी ज़िन्दगी का बहुत ही सुंदर गुलदस्ता मानवजाति के सामने रखा है, उसकी हर कली और हर फूल अपनी जगह बहुत ही सुंदरता के साथ सजाया गया है।

समाज व्यक्तियों से बनता है, सामूहिकता प्रेम व सद्व्यवहार से पैदा होती है, लोग जब तक अपने अंदर प्रेम व त्याग न पैदा करें, उस वक़्त तक सामूहिकता पनप नहीं सकती, इसमें सिर्फ़ अपना आनंद, अपनी राहत, अपनी दौलत का फ़ल्सफ़ा छोड़ना ज़रूरी है, समाज की चिंता, उसको सही दिशा में लाने की ज़रूरत का एहसास और इंसानों को इंसान बनाने की भावना जब तक पैदा न होगी, और उसके लिए अपने आनंद व राहत को छोड़ देने और ज़रूरत पड़ जाए तो अपने स्वार्थ को त्याग देने और दूसरों के लिए बलिदान देने की दृढ इच्छा व साहस जब तक पैदा नहीं होगी और उसके लिये हर समाज में कुछ लोग कफ़न बांध कर खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक़्त तक हालात में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता।

हद से बढ़ी हुई धन लोभ, अपव्यय व फ़ुज़ूलख़र्ची, नाम—नमूद की हिर्स, अश्लीलता, आनंद लेने की व्यर्थ भावनाएं, ये सब वो बुराइयां हैं जिन्होंने आज पूरी दुन्या को शिकंजे में जकड़ रखा है, इससे बढ़ कर ख़तरे की बात ये है कि बुराइयों को बुराई कहने वाले ख़त्म होते जा रहे हैं और अगर कोई अच्छी प्रवृत्ति रखने वाला साहस भी करता है तो दस लोग उसकी हिम्मत को तोड़ने वाले खड़े हो जाते हैं।

इस्लाम भलाइयों को बढ़ावा देता है, अच्छाइयों को फैलाता है, और भलाई फ़ैलाने वालों का उत्साहवर्धन करता है और बुराइयों पर रोक लगता है, उसने दुनिया में ज़िन्दगी गुज़ारने की एक ऐसी व्यवस्था पेश की है जिसमें हर वर्ग के लिए भलाई है, अर्थव्यवस्था से ले कर सामाजिक और नैतिक व्यवस्था तक उसमें एक तरफ़ कुछ आज़ादी दी गई है, दूसरी तरफ़ ऐसी सीमायें निर्धारित की गई हैं कि इंसान इंसानियत का भरम क़ायम रखे, अपने आचार—व्यवहार में ऐसा आदर्श पेश करे जिससे ये मालूम हो कि उसकी सोच कुछ और है, और उसके लिए ये दुन्या ही सब कुछ नहीं है बल्कि वो दूसरी दुन्या को सामने रख कर जीता

है, ज़िन्दगी की लगाम उसके हाथ में है, इच्छाएं उसको नहीं चलातीं बल्कि वो इच्छाओं को चलाना जानता है और उनको नियंत्रण में रखता है, उसकी हैसियत शासक की है, अधीन की नहीं, वो अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि मन की बागडोर उसके हाथ में है।

सामूहिक जीवन के सिद्धांत जब भी बनाए जाएंगे उसमें हर एक का ख़याल रखना होगा, हर वर्ग को उसका अधिकार देना होगा, ग़रीबों के अधिकार, मालदारों के अधिकार, रिश्तेदारों के अधिकार, ग़ैरों के अधिकार, पड़ोसियों के अधिकार, कुछ समय साथ गुज़ारने वालों के अधिकार, सबके अपने अपने ख़ाने हैं और हर एक को उसकी जगह रखना और संतुलन को बिगड़ने न देना इस्लाम की शिक्षा है।

हर एक की अपनी जगह है, उसको उसकी जगह संतुलन के साथ क़ायम रखना समाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन मानवबुद्धि ने जब भी इसकी व्यवस्था खुद तय की है वो असंतुलित हुई है, हर बुद्धि का एक साँचा होता है जिसमें वो विकसित होती है और ढलती है, उस पर परिवेश का भी असर पड़ता है और प्रशिक्षित करने वाले का भी असर पड़ता है, शिक्षा व्यवस्था का भी और आस पास पनपने वाली विचारधाराओं का भी, बुद्धि अपने इसी ढले ढलाए सांचे से सोचती है और फ़ैसला करती है, परिणामस्वरूप उसके अंदर झुकाव पैदा हो जाता है, और वो संतुलन क़ायम नहीं रख पाती, इसलिए सामाजिक व्यवस्था को संतुलन के साथ बाक़ी रखने के लिए ज़रूरी है कि इंसानों के पैदा करने वाले ने इंसानों के लिए जो सामूहिक व्यवस्था प्रस्तावित की है और अपने पैग़म्बरों के ज़रिये वो दुन्या के इंसानों तक पहुँचाया है, उसका खुले मन से अध्ययन किया जाए और उसकी रौशनी में पूरी व्यवस्था तय की जाए, वो व्यवस्था ख़ुदा की आख़िरी किताब क़ुरआन मजीद में मौजूद है, और आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको और स्पष्ट रूप में विस्तार के साथ इंसानों के सामने पेश किया है और एक एक चीज़ को स्पष्ट किया है।

समाज की दो बुराइयाँ ऐसी हैं जो हज़ार ख़राबियों की बुन्याद हैं, एक धन की हद से बढ़ी हुई लोभ और दूसरी अश्लीलता, घूस, ब्याज, झूट, वादाख़िलाफ़ी, वचनबद्धता के विरुद्ध कार्य, धन का ग़लत विभाजन, अधिकारों का हनन, क़त्ल व लूटपाट और न जाने कितने जीवाणु हैं जिनके पीछे इन्हीं दो ख़राबियों का हाथ है, धन की लोभ हद से बढ़ जाती है तो दूसरों के अधिकार भुला दिये जाते हैं और इंसान माल हासिल करने और उसको जमा करने का हर वैध अवैध उपाय करता है, और वो ये भूल जाता है कि उसको मरना है, अल्लाह के सामने हाज़िर होना है, उसकी पूरी ज़िंदगी इसी उधेड़ बुन में गुज़रती है कि किस तरह दौलत बढ़ाई जाए फिर वो इस हद तक गिर जाता है कि ख़ुद चंद टकों को हासिल करने के लिए दूसरों का बड़ा से बड़ा नुक़सान करने पर आतुर हो जाता है, उसकी अंतरात्मा भर्तस्ना करना छोड़ देती है और

माल व दौलत के दलदल में वो धंसता चला जाता है।

इसी तरह दूसरी बुराई अश्लीलता है, ये भी ऐसा भयानक रोग है कि इंसान इसके लिए सब कुछ भुला देता है, यहाँ तक कि न उसको अपनी इज़्ज़त का ख़याल रहता है और न मानवजाति की रक्षा का, वो थोड़ी देर के मज़े के लिए अपना सब कुछ दाँव पर चढ़ा देने के लिए तैयार हो जाता है।

ये दोनों ख़राबियाँ समाज में बढ़ती चली जा रही हैं और इसमें बड़ा हाथ पश्चिमी सभ्यता का है, जिसने इंसान को बिल्कुल जानवरों की सी आज़ादी दे दी है, एक शरीफ़ इंसान जिन चीज़ों की पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था आज वो चीज़ें बाज़ार में आम हो रही हैं और उनको तरक़्क़ी की निशानी समझा जाने लगा है और संस्कृति का एक भाग क़रार दे दिया गया है।

इस्लाम ने इस अधिकता की घोर निंदा की है, इसके नियम क़ानून बनाए हैं, यौन इच्छा पूर्ती से इस्लाम नहीं रोकता, लेकिन उसके लिए निकाह की शर्त लगाता है ताकि संतुलन क़ायम रहे और मानवजाति को घुन न लग जाए, कुरआन मजीद में कामयाबी हासिल करने वालों के गुण में इस का उल्लेख हैः–

अनुवादः– *"जो अपने गुप्तांग की रक्षा करने वाले हैं, सिवाए अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के, तो वह निंदा के भागी नहीं और जिसने इस से आगे कुछ इच्छा की तो ऐसे ही लोग हद से आगे बढ़ जाने वाले हैं।" (अल–मोमिनून 5–7)*

बलात्कार की कठोरता का बयान इन शब्दों में हैः–

अनुवादः– *"और बलात्कार के क़रीब भी मत जाना वो तो बहुत बड़ी बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है (अपनी यौनेच्छा पूरी करने का)"।*

(बनी इस्राईल : 32)

अश्लीलता का प्रसार करने वालों की भी घोर निंदा की गई हैः–

अनुवादः– *"जो लोग ईमान वालों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं उनके लिए दुन्या व आख़िरत में दुःखदायी अज़ाब है।'' (अल– नूर :19)*

इसीलिए बलात्कार का आरोप लगाने वाले को कोड़े है मारने का आदेश है।

यौनेच्छा हर एक में होती है, इसको ख़त्म कर देने से भी मना किया गया है, कुछ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इसकी इजाज़त चाही थी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस से मना कर दिया, हाँ ! ये फ़रमाया कि ऐसे व्यक्ति को निकाह कर लेना चाहिए और अगर निकाह करने में असमर्थ होतो अधिकाधिक रोज़े रखना उसके लिए लाभदायक है, इससे कामेच्छा कम हो जाती है और मन को नियंत्रित रखना आसान हो जाता है।

इसी तरह इस्लाम माल की मुहब्बत से रोकता है, इसमें अतिशियोक्ति और अतिवाद पर रोक लगता है, न वो आवश्यकतानुसार धन रखने से रोकता है और न जमा करने से मना करता है, अगर उसके हक़ की अदाएगी होती रहे, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया जाता रहे, सैंत–सैंत कर रखने वालों और ख़र्च न करने वालों के बारे में कहता है :–

अनुवादः– *"जो लोग सोना–चाँदी जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते तो उनको दुःखदायी अज़ाब की ख़ुशख़बरी दे दीजिए, जिस दिन उसको दोज़ख़ की आग में तपाया जाएगा फिर उससे उनकी माथाएँ और उनके पहलू और उनकी पीठें दाग़ी जाएंगी, यही वो है जो तुमने अपने लिए जमा कर के रखा था, बस जो तुमने जमा किया था उसका मज़ा चखो।"*

(अल–तौबहः 34–35)

ख़र्च करने वालों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह फ़रमायाः–

अनुवादः– *"दो तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी तरह बनने की तमन्ना की जा सकती है, एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और सही जगह ख़र्च करने पर उसको लगा दिया हो, दूसरे वो व्यक्ति जिसको अल्लाह ने ज्ञान व सद्बुद्धि दी हो तो वो उसके ज़रिये फ़ैसला करता हो और उसकी शिक्षा देता हो।*

"(सहीह अल–बुख़ारी, किताबुल इल्म, 73)।

ये दोनों ख़राबियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह तआला ने इनको दूर करने के लिए अलग से पैग़म्बर भेजे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की क़ौम में जब बेहयाई चरम सीमा पर पहुँच गयी तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत शोऐब अलैहिस्सलाम की क़ौम में जब माल की लालच इतनी बढ़ गई कि नाप तौल में कमी करना आम हो गया तो अल्लाह तआला ने इस मर्ज़ को दूर करने के लिए हज़रत शोऐब अलैहिस्सलाम को भेजा।

समाज में एक बहुत बड़ा मसला वैवाहिक जीवन का है, ये समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, पारिवारिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए और सही तरीक़े पर इसको बढ़ने का और फिर बेहयाई से सुरक्षित रखने का यही सबसे बड़ा रास्ता है, इसमें उतार चढ़ाव कभी कभी पूरे समाज को प्रभावित करता है, इस्लाम ने इस बारे में विस्तृत निर्देश दिये हैं।

❖❖❖

इस्लाम में तालीम.....

तमद्दुन के फ़लसफ़े आ़लमी हैसियत से इन्सानी ज़ेहन को दूषित कर चुके थे और महज़ वक़्ती फ़ायदे को ज़िन्दगी का बुन्यादी मक़सद बावर कराने में कामयाब हो चुके थे और सोसाईटी की तामीर और इन्सान के काइदाना मुस्तक़बिल को रौशन करने में उसका कोई किरदार बाक़ी नहीं रह गया था, उसके नतीजे में मानव जाति के मक़ाम का तअ़य्युन मुश्किल हो गया कि किस तरह वह उलूम व फुनून, सामूहिक और समाजी इंसाफ़ और मसावात की नुमाइंदगी करे और सिर्फ माद्दी सलाहियतों को बरूयेकार लाने में अपनी तमाम ताक़त को सर्फ़ करे और उसी को इज़्ज़त व ज़िल्लत का मेयार करार दे, बिल्कुल यही सूरत इस्लाम से पहले मश्रिक़ व मगरबि की माद्दी तहज़ीबों में क़ायम थी और उसमें ऐसे वाक़िआ़त पेश आये जो तारीख़ के सफहात में सियाह कारनामों की हैसियत से दर्ज हैं। और उनको पढ़ कर इन्सान की पेशानी शर्म से झुक जाती है।

❖❖❖

बदगुमानी टोह और उसका इलाज

—मौलाना मुफ़्ती तक़ी उस्मानी

ऐ लोगो जो ईमान लाये हो, अकसर गुमानों से बचो कि कुछ गुमान पाप होते हैं, टोह में मत पड़ो, और तुम में कोई किसी की पीठ पीछे ग़ीबत (बुराई) न करे'' (अल—हुजरातः 12)

बदगुमानी और टोह ऐसे गुनाह हैं जिनको हमने गुनाह समझना ही छोड़ दिया है, हालांकि कुर्आन मजीद का स्पष्ट आदेश है कि दूसरे के विरुद्ध बदगुमानी भी हराम है और तजस्सुस करना अर्थात दूसरे की टोह में लगना कि यह क्या काम कर रहा है? और दूसरे के ऐब (दोष) तलाश करना भी हराम है।

कुर्आन करीम ने साफ लफ़्ज़ों में फरमा दिया ''वला तजस्सुस'' दूसरे की टोह में न लगो, बल्कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने काम से काम रखे, दूसरे की फ़िक्र में न पड़े, इसी तरह बदगुमानी करना भी हराम है, किसी के बारे में अगर कोई बात सामने आई है तो आदमी को चाहिए कि उसके बारे में नेक गुमान करे, हदीस शरीफ़ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया ''जुन्न बिल मूमिनीन ख़ैरा'' (मोमिनीन के साथ नेक गुमान रखो) बिला वजह बदगुमानी करना कि उसने यह किया होगा, इस नियत से किया होगा, यह बदगुमानी है जिसके बारे में कुर्आन करीम ने फरमाया ''इन्न बअ़ज़—जन्ने इस्मुन'' अर्थात कुछ गुमान प्रत्यक्ष गुनाह होते हैं।

समाजी भ्रष्टाचार का कारणः—

यह सब काम नाजायज़ और हराम हैं और कुर्आन व हदीस के आदेश उनके विरुद्ध स्पष्ट हैं, उनमें कोई सन्देह की गुंजाइश नहीं, और यह गुनाह समाजी ख़राबियाँ पैदा करने के ज़िम्मेदार हैं, समाज में आपसी विवाद, एक दूसरे से लड़ाईयाँ, दुशमनी यह सब बदगुमानी और जिज्ञासा से पैदा होती हैं, इसलिए यह दोनों बड़े गुनाह हैं और बहुत से फ़ितनों की जड़ हैं।

हमारे समाज की हालतः—

लेकिन हमारा समाज इन दोनों से भरा हुआ है, हर आदमी अपनी तरफ़ से दूसरे के बारे में एक गुमान गढ़ लेता है और फिर उस पर ऐसा यक़ीन कर लेता है जैसे उसने अपनी आँखों उसे वह काम करते हुए देखा है, ज़रा सी बात मालूम हुई बस इसी पर अपनी तरफ़ से मनगढन्त एक कहानी बना ली कि उसने ऐसा किया होगा, फिर इन फ़र्जी बातों को दूसरों से बन्धित कर देता है जिसके परिणामस्वरूप आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और वर्षों के तअल्लुक़ात ख़त्म हो जाते हैं।

सूरः हुजरात की इस आयत में अजीब तरतीब है आयत का अनुवादः ''ऐ ईमान वालो बहुत बदगुमानीयों से बचो, यक़ीन मानों कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं और भेद न टटोला करो और न तुममें से कोई किसी की ग़ीबत (बुराई) करे'' अल्लामा कुरतुबी रह0 इस आयत की तफ़सीर के अन्तर्गत फ़रमाते हैं कि इसमें अल्लाह तआला ने अजीब तरतीब क़ायम फरमाई है वह यह कि पहले तो फ़रमाया कि बदगुमानी मत करो यानी किसी शख़्स के बारे में

किसी बात का अनुमान और संदेह मालूम हुआ तो आप उसकी जांच किये बिना उसके बारे में बदगुमानी कर के बैठ गये यह काम तो हराम है, अब जो व्यक्ति बदगुमानी कर रहा है वह यह कहता है कि अच्छा आपने बदगुमानी को तो मना कर दिया कि बिला जांच के किसी के बोर में बदगुमान मत हो जाओ तो अच्छा मुझे जांच करने की इजाज़त दे दो ताकि मैं जांच करूं कि उसने यह गुनाह किया या नहीं? यह ऐब उसके अन्दर मौजूद है या नहीं? तो अब दूसरे स्टेज पर कुर्आन करीम ने हुक्म दे दिया ''वला–तजस्ससू'' यानी अगर तुम किसी के गुनाह और ऐब की जाँच करना चाहते हो तो तुम्हें उस की जांच की इजाज़त नहीं, इसलिए कि तुम्हें उसके गुनाहों की क्या पड़ी है कि तुम इस फ़िक्र में लग गये कि उसने यह गुनाह किया है या नहीं?

तुम्हें पराये की क्या पड़ी? जो कुछ वह कर रहा है उसका जवाब अल्लाह तआला के यहां देगा, तुम्हें उसकी इन्क्वायरी की क्या ज़रूरत है, इसलिए तजस्सुस ''टोह'' करना मना है।

तजस्सुस और तहस्सुस में अन्तरः–

हदीस शरीफ़ में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने दो लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाये, फ़रमाया ''वलातजस्ससू वला तहस्ससू'' (न तजस्सुस करो और न तहस्सुस करो) तजस्सुस का अर्थ वह है जो ऊपर ब्यान किया, यानी इन्सान इस फ़िक्र में पड़े कि दूसरे का ऐब मुझे मालूम हो जाये, चाहे उसके लिए कोई भी उपाय इख़्तियार करना पड़े और तहस्सुस का अर्थ वह है जिसको मुहावरें में ''कनसूइयाँ लेना'' कहते हैं यानी किसी की राज़दारी की बात चुपके चुपके सुनने की कोशिश करना, वह छुपाना चाहता है और यह सुनने की कोशिश कर रहा है, इस हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तजस्सुस और तहस्सुस दोनों हराम क़रार दिया है। तजस्सुस क्यों हराम है? तजस्सुस करना या तहस्सुस करना इस बात की अलामत है कि इन्सान अपने ऐब से बेख़बर और बेफिक्र है। अगर उसे अपने ऐब की फ़िक्र होती तो कभी दूसरों के ऐबों की टोह में न पड़ता, जिस आदमी के पेट में ख़ुद दर्द हो रहा हो और वह उस दर्द से बेताब और बेचैन हो, क्या उसको यह फ़िक्र होगी कि फ़लां को नज़ला है या नहीं? फ़लां को खाँसी है या नहीं? इसलिए कि उसको अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है वह अपने दर्द से बेचैन है जब तक उस दर्द से उसको सुकून न मिल जाय, वह उस वक़्त तक दूसरे की तरफ़ कैसे देखे।

अपने ऐबों की फ़िक्र करोः–

अगर हम लोगों को अपने ऐब की फ़िक्र हो जाये कि अल्लाह तआला के यहां जा कर मेरा क्या अन्जाम होना है? आख़िरत में क्या होगा? जब यह फ़िक्र पैदा हो जाये तो फिर दूसरे की तरफ़ निगाह पड़ ही नहीं सकती, बहादुर शाहा ज़फर मरहूम फ़रमाते हैं–

थे जब अपने उयूब से बेख़बर
रहे देखते औरों के ऐबो हुनर
पड़ी अपनी बुराईयों पर जो नज़र
तो निगाह में कोई बुरा न रहा

जिन लोगों को अल्लाह तआला अपने ऐबों की फ़िक्र अता फ़रमाते है, उनको तो सारी दुन्या अच्छी लगती है।

हक़ीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह0 जो इस सदी के मुजद्दिद थे, वह फ़रमाते हैं कि :–

मैं तमाम मुसलमानों को अपने आपसे ''हालन'' और तमाम काफ़िरों को अपने आप से मआलन'' अफ़जल समझता हूँ यानी मुसलमान तो सारे के सारे इस वक़्त भी मुझसे अफ़ज़ल हैं और काफ़िरों को भी आइन्दा के एतिबार से अफ़ज़ल समझता हूँ, कि शायद अल्लाह तआला उनको किसी वक़्त ईमान की तौफ़ीक़ दे और अनजाम (परिणाम) के एतिबार से वह भी मुझ से आगे निकल जायें इसलिए मैं उनको भी अफ़जल समझता हूँ। जब इतने बड़े आदमी का यह हाल है तो हम किस शुमार में हैं, जिसको अल्लाह तआला अपने उयूब (दोषों) की फ़िक्र अता फ़रमाते हैं वह सारी दुन्या को अपने से अफ़ज़ल समझते हैं वह दूसरों के उयूब की फ़िक्र में नहीं रहता है।

लिहाज़ा अपनी फ़िक्र करो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या क्या ऐब तुम्हारे अन्दर मौजूद हैं? क्या क्या ख़राबियाँ तुम्हारे अन्दर पाई जाती हैं? उनको दूर करने की फ़िक्र करो, दूसरों की फ़िक्र करना, दूसरों का तजस्सुस करना, उनकी टोह में लगना, दूसरों के बारे में बदगुमानी और ग़ीबत करना हराम है, और उसके ज़रिये हम अपनी दुन्या भी ख़राब कर रहे हैं और आख़िरत भी खराब कर रहे हैं अल्लाह तआला हम सब को अपने फ़ज़लो करम से इन बुराईयों से महफ़ूज़ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये, आमीन।

मज़मूम (निंदनीय) बदगुमानी कौन सी?:–

बहर हाल बदगुमानी और टोह के बारे में हज़रत अली के मलफ़ूज़ात (उपदेशों में) है, फ़रमयाः– कि बदगुमानी, तकब्बुर (अभिमान) से पैदा होती है, निंदनीय बदगुमानी वह है जो स्वयं लाई जाये बाक़ी जो वसवसा स्वयं आये वह निंदनीय बदगुमानी नहीं जब तक उस पर अमल न हो और अमल की सूरत यह है कि दिल में उस पर पक्का एतिक़ाद करले या ज़बान से किसी के सामने उसका तज़किरा कर दे जब तक वसवसे पर अमल न हो उस वक़्त तक न उस पर पकड़ है न वह नुक़सानदेह है।

एक इन्सान के व्यवहार से उसके बारे में आपको कुछ संदेह हुआ और दिल में वसवसा आया कि मालूम होता है कि उसने फ़लां काम किया होगा, अगर दिल में यह वसवसा ख़ुद ब ख़ुद आया या दिल में शुबहा पैदा हुआ तो इस पर कोई गुनाह नहीं, क्योंकि इसमें आपके इख़्तियार का कोई दख़ल नहीं। दूसरे उसके अमल की तावील (सदुभाव) करो– मिसाल के तौर पर आपने रमज़ान के दिन में एक शख़्स को होटल से निकलते देखा आपके दिल में ख़्याल आ गया कि ऐसा मालूम होता है कि इसने रोज़ा तोड़ा है, अब यह जो ख़्याल दिल में ख़ुद ब ख़ुद पैदा हो यह कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता आदमी को चाहिए कि उसके अमल को उचित जगह पर समझे, मसलन यह कि यह शख़्स जो होटल से निकल रहा है शायद अपने बीमार के लिए खाना ख़रीदने गया होगा, या किसी आदमी से बात करने के लिए होटल के अन्दर गया होगा, इसकी भी सम्भावना है, लिहाज़ा ज़ियादा जांच पड़ताल में पड़ कर अपने को ज़िम्मेदार न बनायें।

यह बदगुमानी हराम है:—

लिहाज़ा ख़ुद बख़ुद दिल में जो ख़्याल आया था वह गुनाह नहीं, इसमें पकड़ नहीं, लेकिन अगर दिल में जो ख़्याल पैदा हुआ था उस पर आपने पहले एतिक़ाद और यक़ीन कर लिया कि यह साहब होटल में रोज़ा तोड़ने के लिए दाख़िल हुए और खाना खा कर बाहर आये हैं, इसका यक़ीन कर लिया और दूसरे एहतिमाल (संभावना) की ओर ध्यान नहीं दिया और फिर इससे आगे बढ़ कर यह किया कि दूसरे के सामने बयान करना शुरु कर दिया कि मैं ने ख़ुद उसको रोज़े में खाते हुए देखा है, हालांकि उसने सिर्फ़ यह देखा था कि वह शख़्स सिर्फ़ होटल से निकल रहा था, खाते हुए नहीं देखा था, लेकिन दूसरों के सामने इस तरह बयान कर रहा है कि जैसे उसने खाते हुए देखा था, और सौफ़ीसद यक़ीन के साथ कह रहा है कि यह शख़्स रोज़ा ख़ोर है, यह बदगुमानी हराम और नाजायज़ है।

इसलिए हज़रत वाला फ़रमाते हैं ''कि मज़मूम बुरी बदगुमानी वह है जो ख़ुद लाई है, बाक़ी जो वसवसा ख़ुद आये वह मज़मूम बुरा नहीं, जब कि उस पर अमल न हो और अमल की सूरत यह है कि दिल से उस पर पक्का एतिक़ाद कर ले (यानी यक़ीन कर ले पहले सिर्फ़ गुमान था फिर उस गुमान को यक़ीन से तबदील कर दिया) या ज़बान से किसी के सामने उसका तज़किरा कर दे।

बदगुमानी के दो दर्जे:—

गोया कि बदगुमानी के दो दरजे हुए, एक दर्जा ग़ैर इख़तियारी है वह यह कि अपने किसी अमल के बगैर दिल में किसी की तरफ़ से कोई गुमान पैदा हो, अल्लाह तआला के यहां इस पर कोई पकड़ नहीं, दूसरा दर्जा इख़तियारी है, वह यह कि जो गुमान दिल में पैदा हुआ, उस गुमान को ले कर बैठ गया और उससे तरह तहर की बातें निकाल रहा है, और उस पर यक़ीन कर रहा है या उसका तज़किरा दूसरों के सामने कर रहा है, यह दूसरा दर्जा हराम है, इससे बचना ज़रूरी है।

बदगुमानी का मनशा गुरूर है:—

आगे हज़रत वाला ने बदगुमानी का इलाज बयान फ़रमाया कि ''जब किसी को बदगुमानी पैदा हो जिसका मनशा गुरूर है तो अपने ऐबों को सामने रखे'' यह इसका इलाज है यानी दूसरे के बारे में दिल में बुरा गुमान आया, दिल में बुरा ख़्याल आया, बदगुमानी पैदा हुई अगरचे वह गैर इख़तियारी होने की वजह से कोई गुनाह नहीं, लेकिन यह ग़ैर इख़तियारी बदगुमानी भी अगर दिल में ज़ियादा देर ज़मी रहेगी तो गुनाह के अन्दर मुबतला कर देगी या तो दिल में यक़ीन पैदा कर देगी या दूसरों के सामने उसका तज़किरा करा देगी, इसलिए उसके इलाज की फ़िक्र करनी चाहिए। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिंगारी आकर गिर पड़ी और आपने उसको बुझाया नहीं, तो वह चिंगारी किसी भी वक़्त शोला बन जायेगी, इसी तरह ग़ैर गुमान का भी इलाज करना ज़रूरी है वह इलाज यह है कि अपने ऐबों को अपनी नज़र के सामने करलें कि मेरे अन्दर फ़लां, फलां ऐब हैं तो दूसरों को क्या देखूं, और उसके बारे में क्या गुमान करूँ, मेरी हालत तो ख़ुद ख़राब है, मेरे अन्दर फ़लां ऐब है, लिहाज़ा अपने ऐब के बराबर याद करने से बीमारी धीरे—धीरे ख़त्म हो जायेगी।

टोह और बदगुमानी की चरम सीमा ग़ीबत है:—

आगे हज़रत वाला ने फ़रमाया "बदगुमानी, टोह, ग़ीबत, (पीठ पीछे बुराई) इन सब का मनशा गुरूर है बल्कि मग़रूर (अहंकारी) की गरज़ (स्वार्थ) पूर्ण रूप से ग़ीबत ही से प्राप्त होती है, बद गुमानी और टोह सब इसी के उत्पत्ति है, अगर कोई व्यक्ति टोह और बदगुमानी करे मगर ग़ीबत न करे तो उसका उद्देश्य प्राप्त न होगा, इसलिए वह बदगुमानी और टोह करना भी छोड़ देगा, बस ग़ीबत सबसे कठिन है।

यानी यह तीनों बीमारियाँ, बदगुमानी, टोह और ग़ीबत, यह सब एक और बीमारी से पैदा होती है वह है अपने आपको बड़ा समझना जब आदमी अपने आपको बड़ा समझता है तब ही वह दूसरे से बदगुमान होता है, और तब ही दूसरे की टोह में लगता है, कि उसका कोई ऐब मेरे हाथ आ जाये और तब ही उसकी ग़ीबत करता है, इन तीनों में से ग़ीबत अस्ल और मूल है, मग़रूर अभिमानी को वास्तविक आनन्द ग़ीबत करने में आता है, लेकिन गीबत की प्रस्तावना के तौर पर वह बदगुमानी और टोह को प्रयोग कर रहा है कि जब मैं बदगुमानी और टोह करूँगा तो उसके नतीजे में ग़ीबत करने का मौक़ा मिलेगा, लिहाज़ा यह बदगुमानी और टोह, गीबत की भूमिका है क्योंकि टोह के नतीजे में कोई ऐब प्रकट होगा तो उसको लोगों के सामने बयान करूँगा और बदगुमानी के नतीजे में कोई ऐब दिल में आऐगा तो उसको लोगों के सामने बयान करूँगा। लिहाज़ा आखिरी नतीजा तो ग़ीबत है जो मग़रूर की मूल ग़रज़ है। ऐसा आदमी मिलना मुशकिल है जो बदगुमानी करे, तजस्सुस (टोह) करे लेकिन फिर आगे ग़ीबत न करे, क्योंकि वह बदगुमानी टोह इसलिए कर रहा है कि वह ग़ीबत का मज़ा लेना चाहता है, मूल उद्देश्य तो ग़ीबत है, यह बदगुमानी और तजस्सुस (टोह) बीच के आने वाले यंत्र और संप्रक है, लिहाजा इन सब बीमारियों में सबसे ज़ियादा ध्यान योग्य बीमारी ग़ीबत है, अगर ग़ीबत की आदत छूट गई तो फिर बदगुमानी और तजस्सुस (टोह) की आदत आसानी से छूट जायेगी।

बदगुमानी में गुनाह का दर्जा:—

आगे हज़रत वाला ने फ़रमाया कि "बदगुमानी में गुनाह का दर्जा तो वह है जिसका ज़ेहन में एतिक़ाद बैठ जाये अगर रासिख न हो तो नुक़सानदेह नहीं, मगर इलाज़ इसका भी ज़रूरी है, वह यह कि अपने ऐबों को निगाह के समाने रखे, फिर अगर इलाज के बाद कुछ असर रहे, तो वह बुरा नहीं।

यानी बदगुमानी में गुनाह उस वक़्त है जब उस बदगुमानी पर यक़ीन कर ले लेकिन अगर यक़ीन न करे बल्कि सिर्फ़ एहतिमाल (सन्देह) के दर्जे में दिल के अन्दर मौजूद है कि शायद उसने यह काम किया हो तो वह हानिकारक नहीं और इस ग़ैर इख़तियारी सन्देह पर गुनाह भी नहीं।

हम जिस प्रकार अपनी शारीरिक बीमारियों पर ध्यान देते हैं उससे कहीं ज़ियादा रूहानी बीमारियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारी घरेलू और खानदानी ज़िन्दगी शान्तिपूर्वक हो। ◆◇◆

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्न: एक सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने अपनी तनख़्वाह की रक़म से एक ज़मीन शहर में ख़रीदी और अपने बड़ें बेटे के नाम मस्लहतन रजिस्ट्री करवाई, मस्लहत यह थी कि ख़ानदान मुश्तरक था और अपने नाम कराने में या वालिद के नाम कराने में मुश्तरक मिल्क हो जाने का अंदेशा था, मस्लहत इसी में समझी कि अपने बच्चे के नाम कर दे, बाद में दूसरे बच्चे भी पैदा हुए, अब बड़े लड़के का दावा है कि यह ज़मीन मेरी है, वालिद साहब ने मुझे दी है जब कि वालिद जो कमज़ोर हैं, उनकी सराहत है कि मैंने सिर्फ रजिस्ट्री उनके नाम की है, मालिक नहीं बनाया है, लड़का बैनामा की वजह से अपनी मिलकियत का दावा कर रहा है और वालिद का भी इंतिक़ाल हो गया है, क्या इसमें दूसरे वारिसीन का हक़ है या नहीं?

उत्तर: बड़े लड़के के नाम सिर्फ रजिस्ट्री कर देने से शर्अन मिलकियत नहीं होती है, जब तक वालिद दे कर क़ब्ज़ा न करा दे, मज़कूरा सूरत में इस ज़मीन में तमाम वारिसीन का हक़ है, उन्हें चाहिए कि वह ज़मीन तमाम भाईयों व बहनों में तक़्सीम कर दें और नाम भी रजिस्टर्ड करा दें, वरना अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा।

(फतावा हिन्दिया: 4/374)

प्रश्न: एक शख़्स ने दूसरी शादी की पहली बीवी से औलाद नहीं थी, दूसरी बीवी बेवा थी और पहले शौहर से एक बेटा था, उन्होंने कुछ लोगों के सामने वादा किया था कि मैं अपना मकान बीवी के उस बच्चे को दे दूंगा, चन्द सालों के बाद इसी बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ, दोनों बड़े हुए, शादियाँ कर दीं, अब उन से जो बच्चा है वह मकान और दीगर इम्लाक पर तन्हा वारिस होने का दावा कर रहा है, उन्होंने बीवी के बच्चे के लिए जो वादा किया था, उस पर शर्मिन्दा हैं, अब क्या करें, और यह कि कुछ न देने पर क्या अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी?

उत्तर: शख़्स मज़कूरा के वारिस सिर्फ वही लड़के हैं जो उनसे हैं और जो बीवी के बच्चे साबिक़ शौहर से हैं, वह वारिस नहीं है, इस सूरत में अगर वादा पूरा नहीं कर सकें तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ मुआख़ज़ा नहीं होगा, अलबत्ता इत्मीनान और एहसान की एक सूरत यह है कि बीवी के बच्चे के लिए भी इस मकान का एक तिहाई हिस्सा वसीयत कर दें ताकि बाद वफ़ात इस का निफ़ाज़ हो सके इस तरह वरासत भी जारी हो जाएगी, वारिसीन के हक़ में हक़ तलफ़ी भी नहीं होगी और वसीयत भी नाफिज़ होगी जिससे वादा भी पूरा होगा और एहसान व हमदर्दी भी हो जायेगी।

(अद्दुर्रुल मुख़्तार: 10/339)

प्रश्न: एक शख़्स ने अपना मकान दूसरे को हिबा कर दिया लेकिन हिबा करने वाला इसी मकान में रहता है, इस मकान से अपना सामान निकाला नहीं है, ऐसी सूरत में यह हिबा करना सहीह हुआ या नहीं?

शेष पृष्ठ.....40.पर...

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

–मौलाना बुरहानुद्दीन सम्भली रह0 –अनुवादकः मौलाना मु0 जुबैर अहमद नदवी

जाहिलियत के ज़माने में वैवाहिक सम्बन्धः–

हजरत आइशा (रज़ि०) की एक लम्बी हदीस जिसे इमाम बुखारी ने भी अपनी किताब ''सहीह'' में बयान किया है, जाहिलियत के निकाहों की किस्में और मौजूदा इस्लामी निकाह के अलावा सभी निकाहों के मना किये जाने का विस्तृत जिक्र किया है जिस का खुलासा पेश किया जाता है।

हजरत आइशा (रज़ि०) फरमाती हैं :–

(इस्लाम से पहले) जाहिलियत के जमाने में शादी चार किस्म की होती थी एक तो यही जिसे इस्लाम ने नियमानुसार सही करार दिया कि एक व्यक्ति औरत के अभिभावकों के पास प्रस्ताव भेजता अभिभावकों और औरत के राजी होने पर महर अदा करता और निकाह कर लेता, दूसरी शक्ल यह थी कि एक व्यक्ति अपनी बीवी से कहता कि जब तू ''माहवारी'' से पाक हो जाए तो फलां व्यक्ति से विन्ती कर के उस से संभोग कर ले अतः वह ऐसा ही करती फिर पति अपनी उस बीवी से उस वक़्त तक दूर रहता जब तक ''गर्भधारण'' की निशानियां सामने न आ जातीं इस निकाह का नाम ''निकाहे इस्तेबजा'' था और यह आमतौर पर अच्छे परिवार के मर्दों से बहादुर औलाद हासिल करने के लिए किया जाता था। निकाह की तीसरी शक्ल यह थी (जो सबसे अश्लील और घृणापूर्ण है) कि एक औरत के पास कई मर्द (दस से कम) इकट्ठा हो कर एक के बाद एक जाते और उसके फलस्वरूप औरत गर्भवती हो जाती जब प्रसव के बाद कुछ दिन गुज़र जाते तब वह उन सबको बुलवाती और उन में से किसी की मजाल न होती कि वह न आये जब सब इकट्ठा हो जाते तो वह उन्हें उनके ''करतूत'' याद दिलाती फिर जिससे चाहती उस बच्चे को जोड़ देती अतः वह बच्चा उसी का कहलाता और उसकी यह हिम्मत न थी कि इंकार कर सके। चौथा तरीका पेशावर औरतों से तअल्लुक का था जिनके दरवाजों पर ''झंडा'' लगा होता और जो चाहता उनके पास चला जाता फिर जब वह गर्भवती होती और प्रसव हो चुकता तब उन सारे लोगों को बुलवाती (जिन्होंने उस औरत से मुंह काला किया था) और वे लोग साथ में कियाफह शानसों को बुलवा लेते और वे उसके लक्षण देख कर उस व्यक्ति से बच्चे की कुंडली जोड़ देते जिसको अपनी कला के अनुसार बच्चे का बाप समझते अतः बच्चा उसी से जुड़ जाता और उसी का बेटा कहलाता। यह तमाम तफ्सील सुनाने के बाद हज़रत आयशा फरमाती हैं ''जब मुहम्मद (सल्ल०) नबी बना कर भेजे गए तो आपने मौजूदा इस्लामी

निकाह के तरीके के अलावा सारी शक्लों को समाप्त कर दिया।''

हदीस के मशहूर व्याख्याकार हाफिज इब्ने हज़र (रह०) ने निकाह की इन चार किस्मों के अलावा तीन शक्लें और जिक्र की हैं जो जाहिली ज़माने में प्रचलित थीं।

निकाहुल खदनः—

यह वही रूप है जिस का हर बिगाड़ के जमाने में चलन रहा है और आज भी विभिन्न रूप में मौजूद है बल्कि आज तो इस पर ''मॉडर्न लेबल लगा दिये गये कहीं ''कॉलगर्ल'' कहीं ''गर्लफ्रेंड'' यानी दोनों अपनी सहमति के साथ छुप कर सम्बन्ध बना लें और यह सम्बन्ध जाहिर न होने पाये वरना ऐब समझा जाता था।

इस किस्म के बारे में कुरआन मजीद में है ''और न चोरी छिपे दोस्ती करने वाली हों'' (सूरहः निसाः 25) और एक जगह है ''और न चोरी छिपे प्रेम करते हुए'' (सूरह : माइदा : 5) इस तरह इस हरकत से मना किया गया।

निकाहुल मुतआः—

सीमित समय के लिये किसी औरत से यौन सम्बन्ध बनाने के लिए नियमित रूप से अनुबंध कर लिया जाता था। (इस्लाम के शुरू ज़माने में इसकी इजाज़त थी बाद में मना कर दिया गया।)

निकाहुल बदलः—

दो व्यक्ति आपस में अपनी बीवियों का अदला बदली कर लेते उनमें से एक अपनी तरफ से कुछ देने का प्रस्ताव भी रखता।

यौन संबन्ध के सारे अश्लील तरीकों की मनाहीः—

शरीयत ने उन सारे अश्लील और निंदनीय तरीकों से औरत से यौन सम्बन्ध बनाना मना कर दिया कि जिनसे औरत में साझेदारी का संदेह भी हो सकता हो। यह औरत पर अल्लाह तआला का इतना बड़ा एहसान है जिस बोझ से वह कभी मुक्त नहीं हो सकती दरअस्ल औरत की फितरत ही बहुलता और साझेदारी को गवारा नहीं करती। विभिन्न मर्दों से यौन संबंध का प्राकृतिक और स्वाभाविक नतीजा यह निकलता कि वह दरअस्ल किसी एक की भी नहीं रह पाती इसका भयानक अंजाम पूरी तरह उस वक़्त सामने आता है जब यह किसी के लिए भी आकर्षक नहीं रह जाती, इसके विपरीत एक व्यक्ति के साथ (शादी का सम्बन्ध हो जाने के बाद का) लगाव पूरी उम्र की जमानत मिल जाने की तरह होता है। इस वजह से शरीयत ने निकाह का सम्बन्ध वास्तव में स्थाई रखा है यानी निकाह के समय दोनों की भावना व इरादा हमेशा के लिए सम्बन्ध बना लेना होना चाहिए इसके बिना वास्तविक सहानभूति और जीवन साथी बनने का गुण नहीं आ सकता यह अलग बात है कि बाद में सम्बन्ध मधुर न रह सकें और किसी तरह निबाह की उम्मीद न रहे तो बुद्धि व प्रकृति की भी यही मांग है कि ऐसी फीकी और कड़वी जिंदगी गुज़ारते रहने से बेहतर यह है कि दोनों शादी का सम्बन्ध खत्म कर के एक दूसरे से अलग हो जायें अतः प्राकृतिक

धर्म इस्लाम में इसकी भी गुंजाईश राखी गई है इसी ज़रुरत के हल का शरई नाम ''तलाक'' है अगर यह गुंजाईश न दी जाती तो प्रकृति को ''मुकम्मल'' समझना मुश्किल होता क्योंकि एक अहम इंसानी ज़रुरत बिना हल किये हुए रह जाती।

निकाह के बाद सम्बन्धः—

शरीयत का असल मकसद यह है कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे के हमदर्द और सुख—दुख के साथी बन कर रहें, हर एक दूसरे का ख़्याल रखे और उसकी भावनाओं का लेहाज रखे खासतौर पर मर्दों को निर्देश है कि वे औरतों की कोमल भावनाओं का ज़ियादा लेहाज करें और कोशिश करें कि ''इन शीश बदनों को ठेस न लग जाए'' एक सफर में ऊंटों पर कुछ औरतें सवार थीं ऊँटबान ऊंटों को तेज दौड़ा रहा था उस अवसर पर आप (सल्ल०) ने ऊँटबान को निर्देश दिया कि ''शीशबदनों के साथ नरमी का मामला करो'' (बुखारी जिल्द—2 पृष्ठ 917) उनमें पैदाइशी तौर पर कुछ कमजोरियाँ होती हैं जिन की वजह से उनका पूरी तरह पति के मिजाज के मुताबिक ढल जाना मुश्किल होता है इसलिए आप (सल्ल०) ने अपने इन्तिकाल से कुछ पहले हज्जतुल विदा के मौक़े पर जो अहम निर्देश दिए उन में औरतों से बेहतर सुलूक करने का निर्देश भी है एक और अवसर पर यह भी फरमाया ''औरतों से अच्छा सुलूक करने में मेरी सलाह मान! उनमें पैदाइशी तौर पर कुछ टेढ़ापन होता है जिस तरह पसली में अगर तुम उनको बिलकुल सीधा करने लगे तो तोड़ डालोगे सीधा नहीं कर पाओगे अगर यूँही रहने दोगे तो कुछ न कुछ टेढ़ापन बराबर रहेगा। (मतलब यह है कि अगर निबाह करना है तो फिर उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना ही पड़ेगा)'' और इसके अलावा हर एक पर जो दूसरे के हक हैं विस्तार से बता कर उनके अदा करने पर ज़ोर दिया क्योंकि इसके बिना न आपसी सम्बन्ध बाकी रह सकता है और न निकाह से सम्बंधित मस्लेहतें और फायदे हासिल हो सकते हैं।

मियां बीवी के सम्बन्ध ज़ियादा बेहतर बनाने वाली बातें:—

वो बातें और कार्य शैली जिन से मियां बीवी के बीच सम्बन्ध बेहतर से बेहतर रहें बहुत सी हैं उनमें से यह भी है कि औरत अपने (पति के) घर के काम काज में पति का हाथ बटाये अगरचे कानूनी तौर पर ऐसा करना तो जरूरी नहीं है मगर अच्छे व्यवहार का तकाजा यही है कि ऐसा करना बेहतर है सही हदीसों में आता है कि हज़रत अबू बक्र रजि० की बेटी हज़रत अस्मा रजि० अपने पति हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ि० के घर के बहुत से काम अंजाम देती थीं जैसे घोड़े के लिए दाना डालना पानी पिलाना, खाना पकाना वगैरह (सहीह मुस्लिम जिल्द 2पृष्ठः 218 में विस्तार से देखा जा सकता है) इसके अलावा आप सल्ल० की बीवियों और दूसरी सहाबी औरतों की जिन्दगियों में इसका जिक्र है।

❖❖❖

ऐकता का संदेष्टा

–अल्लामा सैय्यद सुलैमान नदवी रह0–
अनुवादकः इं0 जावेद इक़बाल

(रसूले वेहदत)

दोस्त और दुशमन, विरोधी प्रतिरोधी सब की मान्यता है कि अन्तिम ईशदूत की सर्वप्रथम और अन्तिम विशेषता एवं शिक्षा ''अद्वैतवाद'' तौहीद है। इस शिक्षा के मूल शब्द तौहीद (अद्वैतवाद) को अब तक एक विशेष संदर्भ ही में सीमित समझा गया है। अर्थात यह समझा गया कि हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने अल्लाह के एक एवं सर्वशक्तिमान होने की शिक्षा संसार के समक्ष प्रस्तुत की थी। अब आवश्यक प्रतीत होता है कि इस शब्द तौहीद (अद्वैतवाद) का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए विचार किया जाय कि आप सल्ल0 की यह अद्वैतवाद की शिक्षा किस किस प्रकार से और किस किस दृष्टिकोण से उन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

अल्लाह की तौहीद (एकं ब्रह्म):–

सृष्टि की उत्पत्ति का सर्वव्यापक चमत्कार एकता व अनेकता की जादूगरी है। हम को वास्तव में प्रत्येक दिशा में अनेकता की रंगीनियाँ दिखाई देती हैं। सहज रूप में जीवन यापन करने वाले अनेकता की इन्हीं रंगीनियों में उलझ कर एक को अनेक में विभक्त कर देते हैं और सच्चे उपासक, उपासक न रह कर बहुदेववादी बन जाते हैं। परन्तु सत् एवं वास्तविकता की लोभी दृष्टि अनेकता के इन्हीं रूपों में एकता का मूल तत्व खोज लेती है। साधारण आँख को धरती आकाश, पर्वत सागर, जंगल मंगल आदि दिखाई देते हैं और इस के साथ ही धरती पर मनुष्य, पक्षी और वृक्ष, आकाश में सूर्य चन्द्रमा और नक्षत्र, पहाड़ों में चट्टानें और गुफाएं, सागर में जल आदि दिखाई देते हैं। अतः मनुष्यों ने इन्हीं रचनाओं को हितों की पूर्ति का स्रोत समझ कर इन्हीं में से कुछ को अपना पूज्य और देवता बना लिया। किसी ने सूर्य को नमन किया तो किसी ने चन्द्रमा को। किसी ने नदी को पूजा तो किसी ने पर्वत को। परन्तु सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ट के उपासक को इन अनेकताओं के पीछे एकता का स्वरूप दिखाई दिया और वह पुकार उठा कि मैं इन रचनाओं के आगे नहीं, बल्कि इनको बनाने वाले एक मात्र सृष्टा को नमन करता हूँ। इसी का वर्णन अन्तिम ईशवाणी कुरआन में यों किया गया है ''मैंने अपना मुख इन सब की ओर से हटा कर उसी की ओर कर लिया जो आकाशों और धरती का एक मात्र सृष्टा है और मैं अन्य किसी को उस का साझी नहीं मानता''।

संसार के सारे ज्ञान–विज्ञान, यंत्र संयंत्र एवं विभिन्न दर्शनों की पूरी खोज और चर्चा केवल इसी एक धुरी का चक्र मात्र है कि इन विचित्र अनेकताओं के मध्य एकता की खोज की जाये। और उसके मध्य से एक रचयिता की पहचान की जाय। जिस अकेले की मनन शक्ति के परिणाम स्वरूप इन सब विचित्र विभिन्नताओं की उत्पत्ति हुई है।

ज्ञान और विज्ञान के जिस क्षेत्र में भी जितनी उन्नति होती जाती है और जितने नये नये भेद खुलते जाते हैं, हम उतना ही प्रकृति के समीप होते जाते हैं और तौहीद (अद्वैतवाद) उतनी ही स्पष्ट हो कर अपने सामने नज़र आने लगती है।

अज्ञान के युग में इन्सान हर काम के लिए अलग अलग देवता मानता था और उस का विचार था कि संसार के समस्त प्राणियों एवं घटनाओं का सम्बन्ध पृथक पृथक रचयिताओं और रचनाओं से है जिस के कारण वह सब ही को पूजता था।

रोगों का देवता अलग था, इतना ही नहीं बल्कि हर रोग का एक अलग देवता था। युद्ध का अलग, संधि का अलग, सूखे का अलग, वर्षा का अलग, ज्ञान का अलग, माल का अलग, भलाई का अलग, बुराई का अलग। तात्पर्य यह कि प्रात्येक कार्य के लिए एक अलग देवता की आवश्यकता थी। स्वाभाविक हुआ कि प्रत्येक की पूजा भी की जाये, इससे पहले कि विज्ञान का युग आरम्भ हो और वह इस असत्य का खण्डन करे, ''सत्य धर्म'' ने इन आडम्बरों के जाल को तोड़ कर रख दिया। और शिक्षा दी कि ''वह एक ही है'' वह धरती से आकाश तक प्रत्येक का सम्राट है, उसी के आदेश ब्रह्माण्ड में जारी हैं। ''वही एक है जो आकाश में सम्राट है और वही एक है जो धरती में पूजने योग्य है। (कुरआन 43:84)

यही वह सत्य है जो तौहीद (अद्वैतवाद) का मूल अंश है। युद्ध और संधि, अमीरी और ग़रीबी, दुख और सुख, सफलता और असफलता अर्थात संसार के समस्त कार्य और प्रत्येक पदार्थ का सम्बन्ध केवल एक ही शक्ति से है जो ''एक एवं अद्वित्यं है''।

इस शिक्षा ने देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, चाँद और सूरज सब की आस्थाओं को मिटा कर धरती से आकाश तक केवल एक अल्लाह का साम्राज्य स्थापित किया और सम्पूर्ण जगत को एक अल्लाह के आदेशों का पालन करने का निमंत्रण दिया। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म की शिक्षा एवं उपदेशों के लिए जो पैग़म्बर (ईश दूत) (शांति हो उन पर) नियुक्त हुए वह इसी महत्वपूर्ण उपदेश को ले कर आये। मगर दुख का विषय है कि यह उपदेश जनता के सम्मुख पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ। और जिन लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हुआ वह भी इस शिक्षा को याद न रख सके और सदैव ही पथभ्रष्ट होते रहे, भटकते रहे। यहां तक कि संसार को अन्तिम ईशदूत नराशंस, महामद, अर्थात आदरणीय मुहम्मद सल्ल0 की प्रतीक्षा करना पड़ी, ताकि उनकी नियुक्ति और उनका आगमन इस वास्तविकता को कुशलतापूर्वक स्पष्ट एवं पूर्ण परिभाषित करे, और संसार इसे स्वीकार कर के फिर भुला न सके।

अतः अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद की शिक्षा जिस विस्तार एंव स्पष्ट रूप से उन्होंने दी वह उनकी शिक्षा की अनोखी एक मात्र विशेषता बन गई। उन्होंने कहा कि ईश्वर अपने अस्तित्व में तो एक है ही साथ ही अपने विभिन्न गुणों के आधार पर भी अकेला है और पूर्णतः सक्षम है। वह उपासनाओं के क्षेत्र में भी अद्वतीय है। वह न

तैंतीस करोड़ के आधार पर तैंतीस करोड़ में विभक्त है और न तीन भागों में विभक्त हो कर एक है और न ही दो विशेषताओं के कारण दो है। बल्कि वह एक अकेला है। उस जैसा कोई नहीं। उसके कार्यों में कोई सहभागी नहीं। कोई ईश दूत भी यह अधिकार नहीं रखता कि उसके एश्वर्य में अंश बराबर की भी साझीदारी कर सके। और न ही किसी महात्मा को नमरूद, फ़िरऔन या क़ैसर और क़िसरा को अधिकार है कि वह उस की सत्ता बादशाही और पालनहारिता में सहभागी होने का प्रयास करे और ''मैं ही ईश्वर हूं'' का झूठा राग अलापे।

सब का एक ही रचयिताः—

परन्तु तौहीद (अद्वैतवाद) को पूर्ण रूप से प्रस्तुत किये जाने में अभी एक क़दम और आगे बढ़ना था और स्पष्ट करना था कि वह एक और केवल एक है जो हमारा रचयिता और पालनहार है। जिस प्रकार वह अपनी शक्ति में, अपने गुणों में अपनी क्षमता में अद्वतीय है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध भी प्रत्येक से भिन्न होते हुए भी समान है। अर्थात वही है जो सृष्टि में हर प्राणी एवं पदार्थ का रचनाकार है। वही धरती के एक कण से सूर्य के व्यापक तेज तक सब का एक मात्र रचयिता है। कीड़े मकोड़े, फल फूल, पशु पक्षी, जानवर और बेजान सब उसी की रचनायें हैं और उसी की दास हैं। सम्पूर्ण सृष्टि उसी एक की सत्ता में है और उसी के आदेशों के अधीन है धरती और आकाश, ग्रह, उपग्रह, समस्त मंडल और सौर मण्डल, पर्वत और पाताल छोटा और बड़ा सब उसी की अज्ञापालन में व्यस्त हैं।

अद्वैत की भ्रामक व्याख्याऐंः—

अनेक समुदाय और क़ौमें इस भ्रम में उलझ गईं कि वह केवल उन्हीं का है किसी अन्य का नहीं। और मानव जाति के मध्य ऊँच नींच, श्रद्धा और घृणा के विभिन्न स्तर रच कर यह प्रचलित कर दिया कि वह केवल उच्च कोटि के इंसानों का ईश्वर है और उसी वर्ग विशेष के लोग श्रद्धा के पात्र हैं। अन्य निम्न स्तर वाले इस योग्य नहीं कि उस से सम्बंध स्थापित कर सकें। अर्थात वह एक ऐसा ईश्वर था जो केवल एक समुदाय का था, किसी एक वर्ग का, धर्म का या परिवार का था अन्य का नहीं। यही कारण था कि गोरी रंगत वाले, उच्च वर्ग के आर्य उसको विशेषतः अपना समझते थे और फिर 'वह' ईरानी और आर्यव्रत के वर्गों में विभाजित हो कर 'दो' हो गये थे। और प्रत्येक वर्ग को यही भ्रम था कि ईश्वर की भक्ति के योग्य केवल वही है। इस भ्रम भ्रांति में पड़ कर इतना भटक गये कि एक आर्य वर्ग देवता की संज्ञा ईश्वर के लिए प्रयोग करता है तो दूसरा आर्य वर्ग (ईरानी) इस का अर्थ देव, जिन्न, और दस्यु समझता है। इससे भी अधिक विस्तृत आधार पर विचार किया जाये तो ज्ञात होगा कि भारत के दो उत्तरी और दक्षिणी भागों में शिव और विष्णु जो पालनहार और सशक्त विद्यमान के अर्थों में एक ही महान शक्ति के दो विभिन्न गुणात्मक नाम हैं, वह भारत वासियों को दो भागों में विभक्त कर देते हैं, एक शैव, शिव को पूजने वाले और दूसरे वैश्नव, विष्णु के पुजारी।

◆◇◆

इस्लामी ज़िन्दगी और उसकी बुन्याद

—मु0 गुफ़रान नदवी

तीन बुन्यादी अक़ायद हैं, जिन पर इस्लामी ज़िन्दगी गरदिश करती और घूमती है—

1. तौहीद का अक़ीदा, जिसका अर्थ अल्लाह को एक जानना और एक मानना है, उसके कामों में न कोई साझीदार है और न कोई सहायक है, नमाज़ जैसी महत्वपूर्ण इबादत में उठते और बैठते, रुकू, सज्दा और कियाम में, एक मुसलमान बार बार ''अल्लाहु अकबर'' कहता है अर्थात अल्लाह सबसे बड़ा है, इस्लाम इन्सान के दिल—दिमाग़ पर अल्लाह की बड़ाई और प्रतिष्ठा का सिक्का बिठाता है, अल्लाह के अतिरिक्त किसी और के लिए सर झुकाना जाएज़ नहीं, इबादत केवल अल्लाह के लिए है उसकी मख़्लूक़ के लिए नहीं है, सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान, पहाड़ दरिया, पेड़ पौधे सब उसकी सृष्टि, उसी के बनाये हुए और पैदा किये हुए हैं, अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों में फ़ाइदा और नुक़सान पहुँचाने की क्षमता नहीं,

ख़ुदा एक है, दिल से जानों यक़ीं।
सिवा उसके माबूद कोई नहीं।।

एक लाख से ज़ियादा अल्लाह के नबी आये सबने अक़ीद—ए—तौहीद की दावत दी, अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ले कर अल्लाह के आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक सबने अल्लाह के एक होने और एक मानने की दावत दी, यह एक ऐसी वास्तविकता और सच्चाई है जिसकी दावत एक लाख चौबीस हज़ार नबियों ने दी, और इसी का एलान किया, अल्लाह ने पूरी सृष्टि में इन्सान को सर्वश्रेष्ठ बनाया और उसके सर पर ''अशरफुल मख़लूकात'' सबसे उत्तम मख़लूक़ का ताज रखा और उसको अपना ख़लीफ़ा (प्रतिनिधि) बनाया ताकि वह अल्लाह की मर्ज़ी को ज़मीन वालों पर चलाये, स्वयं और दूसरों को उसका आज्ञाकारी बनाये।

2. इस्लामी ज़िन्दगी का दूसरा बुन्यादी अक़ीदा रिसालत पर ईमान लाना है, इन्सानों की हिदायत और मार्गदर्शन के लिए हर ज़माने में अल्लाह ने नबियों को भेजा, यह सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक है, अल्लाह के भेजे हुए प्रथम नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल0, आपके बाद क़ियामत तक कोई नबी नहीं आयेगा, आप सल्ल0 ने स्वयं फ़रमाया ''ला—नबीय बादी'' मेरे बाद कोई नबी नहीं ''हज्जतुल वदअ़'' के अवसर पर कुर्आन शरीफ़ की यह आयत नाज़िल हुई जिसका अनुवाद यह हैः— ''आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया, और तुम पर अपनी नेमत (इस्लाम धर्म के रूप में) पूरी कर दी और इस्लाम धर्म को तुम्हारे लिए स्वीकार कर लिया'' (सूरः माइदा आयत नं0 3) अल्लाह के अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्ल0 और पिछले नबियों में

जो अन्तर है वह यह है कि पिछले नबी निर्धारित समय, निर्धारित क्षेत्र और निर्धारित क़ौम के लिए आये परनतु हज़रत मुहम्मद सल्ल0 को पूर्ण संसार के लिए और रहती दुन्या तक के लिए अल्लाह ने भेजा, आप सल्ल0 तमाम रसूलों के सरदार और इमाम हैं, और आप अल्लाह के अन्तिम नबी हैं आपकी नबूवत और रिसालत समस्त इन्सानों और समस्त जिन्नातों के लिए है। ''और हमने आपको तमाम ही लोगों (के लिए) खुश ख़बरी देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर भेजा है।''

(सूरः सबा आयत–28)

दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया ''कह दीजिए कि ऐ लोगों मैं तुम सबकी ओर उस अल्लाह का पैगम्बर हूँ''।

(सूरः अल आराफ– 150)

सूरः अनआम में अल्लाह ने फरमाया ''और इस कुर्आन की वह्य मुझ पर इसीलिए की गई ताकि उसके द्वारा मैं तुम्हें और जिस तक यह पहुँचे उसे ख़बरदार करूँ''।

(अल अनआमः 19)

आंहजरत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की रिसालत का सरकिल केवल इन्सानों और जिन्नातों तक ही सीमित नहीं है बल्कि आप तमाम जहानों समस्त लोगों के नबी हैं इसलिए अल्लाह तआला फ़रमाता है ''वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल्लिल आलमीन''

(सूरः अलअंबिया–107)

और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। आप सल्ल0 का अनुकरण प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है इसके बिना ईमान पूर्ण नहीं, कुर्आन मजीद में बीसों जगह आप सल्ल0 के आज्ञा पालन का आदेश दिया गया है। सूरः अनफ़ाल में अल्लाह ने फरमाया ''अल्लाह और उसके रसूल का आदेश मानों यदि तुम वास्तव में ईमान वाले हो सूरः आले इमरान में अल्लाह ने फ़रमाया ''ऐ रसूल आप कह दीजिए कि अल्लाह और रसूल की बात मानो फिर अगर वह मुँह फेर लें तो अल्लाह इनकार करने वालों को पसन्द नहीं फरमाता''।

(आले इमरानः 32)

इस आयत से मालूम होता है कि अगर कोई नहीं मानता और मुँह फेरता है तो वह काफ़िर है एक जगह विरोध करने वालों को कठोर परिणाम से डराया गया है, ''और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल से दुशमनी मोल लेता है तो निःसंकोच अल्लाह कठोर दण्ड देने वाला है''।

(अल अनफ़ाल–13)

अल्लाह तआला ने कुर्आन मजीद में साफ़ फ़रमा दिया ''जिसने रसूल की आज्ञा पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञापालन किया''।

(सूरः अन्निसा–80)

आख़िरत पर ईमान मैंने शुरु में लिखा कि इस्लामी ज़िन्दगी के तीन बुन्यादी अक़ीदे हैंः– अक़ीद–ए–तौहीद, अक़ीद–ए–रिसालत, जिस की व्याख्या तफ़सील से की गई।

3. आख़िरत पर ईमान, यह महत्वपूर्ण अक़ीदा है जब तक आखिरत का यक़ीन और विश्वास न हो और इन्सान इसको दिल से मान न ले उस समय तक यह मुसलमान नहीं हो सकता, कुर्आन की प्रारम्भिक

सूर बक़रह जहां ईमान वालों की विशेषतायें बयान की गई हैं कि वह अल्लाह से डरते हैं और आख़िरत पर ईमान लाते हैं, इन्सान की ज़िन्दगी पर अल्लाह के ख़ौफ़ व डर के बाद सबसे गहरा जो प्रभाव पड़ता है वह आख़िरत के यक़ीन व विश्वास का है, इन इस्लामी अक़ायद के परिणाम स्वरूप नबवी काल में बड़ी क्रान्ति आ गई इन्सानों की ज़िन्दगियों का रुख़ बदल गया, नेकी व बदी का लोग अन्तर समझने लगे, ''आख़िरत'' का शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि अल्लाह ने अपनी किताब कुर्आन मजीद में 113 जगहों पर इसका ज़िक्र किया है, इन्सान को याद दिलाया गया है कि मरने के बाद अपने तमाम छोटे–बड़े, अच्छे बुरे कामों के साथ तुम्हें अपने रब और वास्तविक स्वामी के पास जाना है, उस समय तुम्हारे पूर्ण जीवन काल का रिकार्ड होगा, जिसे तुम झुठला ना सकोगे, अल्लाह के नबी ने फ़रमाया ''ला–ऐशा इल्ला ऐशुल–आख़िरह'' ज़िन्दगी केवल आख़िरत की ज़िन्दगी है, सूरः मोमिनून में अल्लाह ने फ़रमाया ''क्या तुम यह गुमान किये हुए हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है और यह कि तुम हमारी ओर लौटाये न जाओगे,'' सूरः अनकबूत में फ़रमाया ''और यह दुन्या की ज़िन्दगी बस खेल और तमाशा है और वास्तविक तो बस आखिरत ही का घर है काश कि वह जान लेते,'' दूसरी जगह फ़रमाया ''और आखिरत का घर ही बेहतर है'' अनआम–32, इसी प्रकार सूरः ''तौबा में है'' क्या तुम आखिरत के मुक़ाबले में दुन्या ही की ज़िन्दगी में मगन हो गये हो'', मौत एक ऐसी वास्तविकता है जिससे इन्सान अपने को बचा नहीं सकता वह एक विश्वसनीय चीज़ है जिसे हम रात दिन देखते हैं, लेकिन उसके बाद की ज़िन्दगी सदैव की ज़िन्दगी है, यदि हम चाहते हैं कि वहां की ज़िन्दगी आराम और सुकून की हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ईमान अल्लाह व रसूल के आदेश के अनुकूल हो, और उसी के अनुसार हमारा जीवन व्यतीत हो, हर समय अपने अक़ीदे को जांचते और परखते रहें, हमारे ईमान की कसौटी कुर्आन और हदीस है, आमाल की कमीबेशी अल्लाह मआफ़ कर सकता है, अगर ईमान खरा न हुआ तो क़ाबिले मआफ़ी नहीं। अल्लाह ने इन्सानों की हिदायत और मार्गदर्शन के लिए अपने अन्तिम नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को भेजा और अपनी आख़िरी किताब कुर्आन मजीद को नाज़िल फ़रमाया जो बिल्कुल सुरक्षित है, इस की सुरक्षा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली, कुर्आन मजीद जिस प्रकार चौदह सौ साल पहले लाभदायक और क़ाबिले अमल था वह अब भी है, दुन्या और आख़िरत की कामयाबी की जमानत है, ''दीन के विषय में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढी राह से नुमायां और रौशन हो चुकी है इसलिए जो व्यक्ति अल्लाह के अलावा दूसरे मअ़बूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाये उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी न टूटेगा और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है''।

(सूरः बक़रा–256)

❖❖❖

तलाक़: औरत पर अत्याचार नहीं

–मुहम्मद जैनुल आबिदीन मंसूरी

इस्लाम वास्तव में एक सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था है। व्यक्तिगत, दाम्पत्य, पारिवारिक और सामाजिक, सारे पहलू तथा इनके वैचारिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक, भावनात्मक तथा आर्थिक और क़ानूनी एवं न्यायिक, सारे आयाम एक दूसरे से अभाज्य रूप से सम्बद्ध, संलग्न और इस प्रकार अन्तर्सम्बंधित हैं कि जीवन के किसी एक विशेष अंग, अंश, पक्ष या आयाम को 'समग्रता' से अलग करके नहीं समझा जा सकता। उपरोक्त भ्रम या आक्षेप, 'समग्रता' से 'अंश' को पृथक करके देखने से पैदा होते हैं।

आक्षेप का एक कारण यह भी है कि 'कुछ तत्वों' की नीति ही इस्लाम के प्रति दुराग्रह, घृणा, विरोध और दुष्प्रचार की है। दूसरा कारण यह भी है कि स्वयं मुस्लिम समाज में कुछ नादान व जाहिल लोग, तलाक़ के इस्लामी प्रावधान को कुरआन की शिक्षाओं तथा नियमों के अनुकूल इस्तेमाल नहीं करते, जिससे स्त्री पर अत्याचार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

उनके इस कुकृत्य से, वे ग़ैर– मुस्लिम लोग, जो नादान मुसलमानों को ग़लती का शिकार हो जाने वाली औरत से सहानुभूति रखते हैं, यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह ग़लती इस्लाम की है, त्रुटि विधान में है। और मुस्लिम समाज में पाये जाने वाले इस व्यवहारिक द्वोष का एक बड़ा कारक यह भी है कि हमारे देश के मुस्लिम समाज की उठान और संरचना उस 'इस्लामी शासन व्यवस्था' के अंतर्गत तथा उसके अधीन रह कर नहीं हो रही है। और न ही हो सकती है जो इस्लाम के अनुयायियों के जीवन के हर क्षेत्र को पूरी व्यापक व समग्र जीवन व्यवस्था की एक पवित्र तथा न्यायपूर्ण व नैतिक लड़ी में पिरो देता है, जहां न पत्नी पर दुष्ट पति के अत्याचार की गुंजाइश रह जाती है, न उदंड व नाफ़रमान पत्नियों द्वारा पतियों के शोषण की गुंजाइश। (गत कई वर्षों से हमारे देश में पत्नियों के अत्याचार से पीड़ित व प्रताड़ित पतियों के संगठन काम कर रहे हैं तथा जुलाई 2009 में, ऐसे संगठनों के हज़ारों सदस्यों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में हुआ था)

तलाक़ अत्यंत नापसन्दीदा कामः–

हलाल और जायज़ (वैध) कामों में सबसे ज़ियादा नापसन्दीदा और आवंछित काम इस्लाम में तलाक़ को माना गया है। दाम्पतय–संबंध–विच्छेद (तलाक़) को इस्लाम उस अतिशय परिस्थिति में कार्यान्वित होने देता है जब दाम्पत्य संबंध इतने ज़ियादा ख़राब हो जाएं कि दम्पत्ति, संतान, परिवार और समाज के लिए अभिशाप बन जाएं। ऐसे में इस्लाम चाहता है कि पति व पत्नी एक–दूसरे से आज़ाद हो कर अपनी पसन्द का नया जीवन शुरु कर सकें। अरबी शब्द 'तलाक़' में इसी 'आज़ाद होने' का भाव निहित है।

इस्लाम इस बात को गवारा नहीं करता कि पति–पत्नी में आए दिन लड़ाई–झगड़ा, मार–पीट, गाली–गलौज का वातावरण रहे, बच्चे ख़राब हों, उनका भविष्य नष्ट हो, पति–पत्नी एक दूसरे की हत्या करें/करायें या अत्महत्या कर लें, पति घर छोड़ कर चला जाए या पत्नी को घर से निकाल दे, परिवार अशांति व बदनामी की

आग में जलता रहे लेकिन जैसा कि हमारे भारतीय समाज की दृढ़ व प्यापक परंपरा रही है, दोनों में संबंध–विच्छेद न हो। इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो तलाक़ को 'अत्याचार' कहने वाले लोग स्वयं, इसे पति व पत्नी के लिए, विशेषतः स्त्री के लिए 'वरदान' और 'न्याय' कहेंगे कि वह एक नरक–समान जीवन जीने पर मजबूर रहने के और पीड़ा, प्रताड़ना, अत्याचार, घुटन, कुढ़न व अशांति से ग्रस्त रहने के बजाय एक नया, शांतिमय व गौरवपूर्ण जीवन व्यवतीत करने के लिए आज़ाद हो गयी। और यही विकल्प पुरुष को भी प्राप्त हो गया।

दो अतियाँः–

हमारे देश में, सेक्युलर क़ानून–व्यवस्था में कुछ समय पूर्व तलाक़ का प्रावधान किये जाने से परे, मूल तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता और धार्मिक परम्परा में तलाक़ की गुंजाइश ही नहीं है। दाम्पत्य जीवन चाहे जितना असमान्य, कुंठित, समस्याग्रस्त हो जाए, पति–पत्नी के संबंध में चाहे जितनी कटुता आ जाए, दोनों के लिए दाम्पत्य–संबंध अभिशाप बन कर रह जाए, यहां तक कि एक दूसरे के प्रति अत्याचार, अपमान, अपराध की परिस्थिति भी बन जाए, संबंध– विच्छेद किसी हाल में भी नहीं हो सकता। औरत के पास, मायके से डोली उठने के बाद, ससुराल से अर्थी उठने के सिवाय कोई विकल्प ही नहीं रहता।

दूसरी तरफ़, पाश्चात्य सभ्यता में तलाक़ देना/लेना (कोर्ट के माध्यम से) इतना सरल और इतना अधिक प्रचलित है कि ज़रा–ज़रा सी बात पर तलाक़ हो जाती है। कच्चे धागे की तरह दाम्पत्य–संबंध टूट जाते/तोड़ दिये जाते हैं। ''सिंगिल पैरेंट फैमिली'' का अभिशाप नन्हे–नन्हे बच्चे भी झेलते हैं और समाज भी झेलता है। पति–पत्नी दाम्पत्य जीवन की गरिमा व महत्व के प्रति संवेदनहीन होते जा रहे हैं। कुछ लोग तो पति–पत्नी ऐसे बदलते हैं जैसे मकान, लिबास और कारों के मॉडल।

संतुलित, मध्यम–मार्गः–

इस्लाम, भारतीय मूल–सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता की उपरोक्त दो अतियों के बीच एक संतुलित 'मध्यम मार्ग' अपनाता है। न तालक़ को वर्जित, अवैध, असंभव बनाता है, न खेल–खिलवाड़ की तरह आसान। विशेषतः औरत पर, उपरोक्त दोनों अतियों (ज़्यादती) में जो अत्याचार और उसका जो बहुपक्षीय शोषण होता है वही आपत्तिजनक तथा आक्षेप का पात्र है, न कि इस्लाम का, तलाक़ का प्रावधान।

इस्लाम में इस बात का प्रावधान है कि पति, अत्यंत असहनीय परिस्थिति में पत्नी को तलाक़ दे सकता है और स्त्री नियमानुसार विधिवत प्रक्रिया द्वारा पति से तलाक़ प्राप्त कर सकती है। यह प्रक्रिया विस्तार के साथ शरीअत ने निश्चित व निर्धारित कर दी है। अलबत्ता स्त्री को स्वयं तलाक़ देने का अधिकार न देने में इस्लाम ने इस तथ्य का भरपूर ख़याल रखा है कि स्त्री अपने स्वभाव, मनोवृत्ति, मानसिकता व भावुकता में पुरुष से भिन्न बनाई गयी है।

उसकी भावनात्मक स्थिति इतनी नाजुक होती है कि वह बहुत जल्द अत्यंत भावुक हो उठती है। जिस प्रतिकूल एवं कठिन व असहाय परिस्थिति में पुरुष आत्मसंयम व आत्म–नियंत्रण द्वारा तलाक़ देने से रुका रहता है, संभावना रहती है कि वैसी ही परिस्थिति में स्त्री का आत्म बल उसकी भावुकता व क्रोध से हार जाए और वह तलाक़ दे बैठे। इसे पाश्चात्य समाज ने सही भी

साबित कर दिया है। अपनी पसन्द का चैनल देखने पर आग्रह करने वाले पति से रिमोट कंट्रोल न पाकर गुस्से में तलाक़ ले लिया। पति के खर्राटों से रात को नींद न आने पर परेशान और क्रोधित पत्नी ने तलाक़ ले लिया। ब्वाय–फ्रेंड के साथ मनोरंजन करने पर पति द्वारा एतिराज़ किये जाने पर पत्नी ने भावुक व क्रोधित हो कर तलाक़ ले लिया। पति को किसी बात से अत्यधिक कष्ट या उसके किसी व्यवहार से अपमानित महसूस करके या किसी घरेलू झगड़े में भावुक हो कर बिना बहुत दूर तक, बहुत आगे की सोचे, (पति के द्वारा तलाक़ देने की तुलना में) पत्नी द्वारा तलाक़ दे देना अधिक संभावित होता है।

इसी वजह से इस्लाम स्त्री को तलाक़ लेने का अधिकार तो देता है, तलाक़ देने का अधिकार नहीं देता। तलाक़ लेने की प्रक्रिया में इस्लामी शरीअत कुछ और लोगों को भी दोनों के बीच में डालती है और विधि के अनुसार कुछ समय तक समझाने–बुझाने की प्रक्रिया जारी रखने के बाद यदि विश्वास हो जाता है कि संबंध विच्छेद हो जाना ही औरत के लिए भलाई व न्याय का तक़ाज़ा है तो शरीअत उसे तलाक़ दिला कर पति से आज़ाद करा देती है। इस प्रक्रिया को शरीअत की परिभाषा में 'खुलअ़' कहा जाता है।

तलाक़शुदा औरत के प्रति सहानुभूतिः–

तलाक़ पर आपत्ति करने का एक सकारात्मक कारक भी है कि लोग तलाक़शुदा औरत से सहानुभूति रखते हैं लेकिन चूंकि वे उसके बारे में इस्लाम की पारिवारिक तथा सामाजिक व्यवस्था को जानते नहीं, इसलिए समझते हैं कि ऐसी अबला, औरत को कोई पूछने वाला, सहारा देने वाला नहीं है इसलिए तलाक़ उस पर साक्षात अत्याचार, शोषण और अन्याय है। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस्लाम उसे बेसहारा, अबला और दयनीय बना कर नहीं छोड़ता, उसने उसके लिए कई प्रावधान, कई स्तरों पर किये, हैं, जैसे–

1. विवाह के समय ही इस्लाम, पत्नी को पति से स्त्री धन (मह्र) दिलाता है। इस धन पर उसके पति या ससुराली नातेदारों का ज़रा भी हक़ नहीं होता, वह स्वयं उसकी मालिक होती है, कठिन व प्रतिकूल परिस्थिति में (जैसे तलाक़ के बाद) यह धन उसका सहारा बनता है।

2. विवाह के समय या दाम्पतय जीवन में पति जो कुछ भी धन, गहने, सामग्री, संपत्ति पत्नी को देता है, तलाक़ होने पर उससे वापस नहीं ले सकता।

3. मायके में पहुँच कर यदि तलाक़शुदा औरत दूसरा विवाह करना चाहे तो मायके वालों को न सिर्फ़ यह कि उसे इससे रोकने या पुनर्विवाह में रोड़े अटकाने का अधिकार नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से उनका कर्तव्य है कि उसकी पसन्द का रिश्ता ढूंढ़ कर उसकी शादी कराएं और उसका नया घर बसा दें।

5. औरत का उसके माता–पिता के धन–संपत्ति में शरीअ़त ने निर्धारित हिस्सा रखा है। माता–पिता की छोड़ी हुई दौलत, मकान, जायदाद, फैक्ट्री, कारोबार, ज़मीन, कृषि भूमि आदि में उसका हिस्सा कुर्आन में सविस्तार निर्धारित कर दिया गया है (4:11,12,176)। इस निर्धारण को कुर्आन ने 'अल्लाह की सीमाएं' (हुदूदुल्लाह) कहा है जिसके अन्दर न रहने वालों का

हमेशा के लिए नरक में जलने की घोर चेतावनी दी गयी है (4:14)। इसी तरह भाइयों और कुछ अन्य रिश्तेदारों के धन–संपत्ति में भी उसे हिस्सा दिया गया है। तलाक़शुदा औरत पुनर्विवाह कर ले तब भी और न करे तब भी वह हिस्से पाने की अधिकारी बनाई गयी है।

6. सामान्यतः कोई कुंवारा व्यक्ति किसी तलाक़शुदा स्त्री से शादी नहीं करता। इन्सानी प्रकृति के रचयिता ईश्वर ने इसी बात का ख़याल रखते हुए शरीअत में बहु–पत्नीत्व की गुंजाइश रखी है ताकि तलाकशुदा औरतों को लोग दूसरी (या अतिविशिष्ट परिस्थितियों में तीसरी, चौथी) पत्नी बना कर उनका सहारा बन जाएं।

इतने प्रावधानों के साये में 'तलाक़' औरत के लिए अत्याचार व अभिशाप नहीं बन पाता। हां मुस्लिम समाज में नादानी, अज्ञानता के कारण पाई जाने वाली कुछ कमियों के कारण से कुछ मामलों में तलाक़शुदा औरत को कुछ कठिनाइयां अवश्य पेश आती हैं लेकिन खुदा का ख़ौफ़ (परलोक की सज़ा का डर), इस्लामी नैतिकता, परिवार और समाज का दबाव आदि कुछ ऐसे कारक हैं, जो ऐसी औरत को सहारा उपलब्ध कराते रहते हैं। दूसरी तरफ़ मुस्लिम समाज में कुर्आन, हदीस, शरीअत और नैतिकता के हवालों से शिक्षा व चर्चा हमेशा जारी रहती है, समाज–सुधार के प्रयत्न बराबर होते रहते हैं।

परिणामस्वरूप अज्ञान व जिहालत का स्तर निरंतर नीचे गिरता रहता है और तलाक़शुदा औरत की उस तथाकथित दुर्दशा की स्थिति मुस्लिम समाज में बनने नहीं पाती जिसका बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार किया जाता या जिसको एक मुद्दा बना कर रह–रह कर इस्लाम पर आक्षेप किया जाता, मुस्लि समाज पर ''तलाक़'' के अत्याचार व अभिशाप होने का आरोप लगाया जाता, इस्लाम के प्रति घृणा का वातावरण बनाया जाता है। या सीधे–सादे देशबंधुओं में अज्ञानवश 'तलाक़–इस्लाम–मुस्लिम समाज' के हवाले से ग़लतफ़हमियां पायी जाने लगती हैं।

(कांति सितम्बर 2018 से ग्रहीत)

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा .....

के सारे कबीलों से नवजवान चुने जाएं और वे यकायक हमला करदें ताकि ख़ून सब में बंट जाए और हाशिम कबीले वाले मुकाबला न कर सकें, सब इसी इरादे से दरवाज़े पर एकत्र हुए, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े से निकल कर उनकी आँखों में मिट्टी डालते हुए चले गये और फिर वे सब बद्र के अवसर पर चुन चुन कर मारे गए।

9. नज़र पुत्र हारिस ने यह बात कही और जब कुर्आन ने चैलेंज दिया कि एक छोटी सूरह ही बना लाओ तो सब अपना मुँह ले कर रह गए।

10. उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि बड़े अज़ाब की मांग करने लगे लेकिन अल्लाह का इस उम्मत (समुदाय) के लिए नियम है कि वह इसको बड़े अज़ाब में ग्रस्त नहीं करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की वजह से और लोगों के माफ़ी मांगने की वजह से।

❖❖❖

–प्रस्तुति–

जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी

हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाइये

—डॉ0 सय्यद अमजद अली

इन्सानी शरीर का ढाँचा 206 हड्डियों और 360 जोड़ों पर आधारित है, जो काम करने में सहायता करने के साथ शरीर के दूसरे अंगों जैसे दिल, फेफड़े, दिमाग़ की सुरक्षा के लिए दीवार का काम करता है, यही वजह है कि दुन्या भर के स्वास्थ विशेषज्ञों ने मज़बूत हड्डियों, जोड़ों को स्वस्थ शरीर के लिए अनिवार्य माना है, अगर हड्डियाँ किसी वजह से कमज़ोर हो जायें तो ''आस्टियोपोरोसिस'' की बीमारी लग सकती है, इस बीमारी में हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, और ज़रा सी चोट लगने के नतीजे में ''फ्रैक्चर'' तक हो सकता है, याद रहे हड्डियों की सेहत के लिए ''कैलशियम और विटामिन डी'' का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी हड्डियाँ नर्म होती हैं, मगर उम्र बढ़ने के साथ कुदरती तौर पर उन हड्डियों में विकास और उन्नति होती रहती है यहाँ तक कि वह मज़बूत और शक्तिशाली हो जाती हैं, एक आम सेहतमंद आदमी की हड्डियाँ 30 से चालीस वर्ष के बीच अपनी भरपूर सूरत में शक्तिशाली रहती हैं मगर फिर जूँ, जूँ उम्र बढ़ती है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरु हो जाती हैं। एक रिसर्च के अनुसार, हड्डियों की कमज़ोरी और भुरभुरे पन की सम्भावना 40 से 54 साल की उम्र वाली महिलाओं में 55 प्रतिशत और 75 से 85 साल वाली महिलाओं में 97 प्रतिशत पाई जाती है जबकि मर्दों में ''आस्टयो पोरोसिस'' की दर 6 प्रतिशत है।

बुढ़ापे में हड्डियों की मज़बूती बहुत कठिन समस्या है लेकिन उन्हें टूटने से बचाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है, बुढ़ापे में कुदरती तौर पर गूदा कम बनता है जिसके नतीजे में हड्डियों के ढाँचे में ''कैल्शियम, ऐमिनो ऐसिड'' और ज़रूरी नमक की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है इसके अलावा कुछ ग़िजाएं (आहार) भी हड्डियों की कमज़ोरी और भुरभुरे पन का कारण बनती हैं, अतः खाने पीने की ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए जो हड्डियों को कमज़ोर करती हैं, जैसा कि ''कार्बोनेटेडड्रिंक्स'' में फ़ास्फ़ोरिक एसिड'' शामिल होता है जो ख़ून में एसिड बढ़ा देता है और उसके नतीजे में हड्डियों में कैलशियम की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए ''कार्बोनेटेडड्रिंक्स'' का प्रयोग तुरन्त छोड़ देना चाहिए।

पहाड़ी नमक का अधिक प्रयोग भी हड्डियों की कमज़ोरी का कारण बनता है, इसका एक बड़ा अंश ''सोडियम'' है जिसका ज़ियादा इस्तेमाल शरीर से कैल्शियम का निष्कासन बढ़ा देता है, खास कर मेनोपॉज (यानी मासिक धर्म बन्द हो जाने के बाद) इस नमक का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक सौ मिलीग्राम काफ़ी पीने से शरीर से 6 मिली ग्राम कैलशियम निकल जाता है, अतः जो लोग काफ़ी का प्रयोग अधिक करते हैं उचित होगा कि वह धीरे—धीरे कम कर दें।

हाँ कभी कभार काफ़ी

पीने में कोई हरज नहीं, इसी प्रकार ''हाईड्रोजनेटेड'' आयल भी हड्डियों के लिए हानिकारक हैं क्योंकि उसकी तैयारी में ''हाईड्रोजन'' गैस बहुत ही ज़ियादा दबाव के साथ उसमें से गुज़ारी जाती है जिसकी वजह से ''विटामिन'' ए नष्ट हो जाता है। यह बात अच्छी तरह याद रखें कि ''हाईड्रोजनेटेड आयल्स'' के लेबल पर चरबी से रहित प्रिंट हो, फिर भी वह स्वास्थ के लिए हानिकारक ही साबित होता है।

इसके बजाये खानों में सरसों या नारियल का तेल इस्तेमाल किया जाये जो हर एतिबार से लाभदायक है, गेहूँ के चोकर में ''फ़ाइटिक एसिड'' सम्मिलित होता है जो कैलशियम के प्रभाव को रोकता है लेकिन अगर उसे दूध के साथ मिला कर खाया या पिया जाये तो आंशिक प्रभाव न होने के बराबर रह जाते हैं कि मैगनेशियम और विटामिन बी आंशिक प्रभाव कम कर देते हैं, यद्यपि एक प्याले में गेहूँ और पानी डाल कर रख दें और कुछ दिनों बाद गेहूँ फूट जाये तो उसका इस्तेमाल नुक़सानदेह नहीं, बल्कि सेहत के लिए लाभदायक साबित होता है, इसके अतिरिक्त सुस्ती और काहिली की जगह गतिशील जीवन व्यतीत करें तो यही स्वास्थ्य वर्धक रहने का उचित फ़ारमूला है।

दवा कोई वरज़िश से बेहतर नही,
यह नुसख़ा है कम ख़र्च, बाला नशीं

❖❖❖

प्रश्नों के उत्तर.....

उत्तर: हिबा मुकम्मल होने के लिए यह ज़रूरी है कि जिस को हिबा किया गया है उसके कब्ज़ा में वह चीज़ दे दी जाए, मजकूरा सूरत में चूंकि हिबा करने वाले ही का क़ब्ज़ा बदस्तूर बाक़ी है इसलिए यह हिबा मुकम्मल नहीं हुआ।

(अद्दुर्रुल मुख़्तारः 5/690)

प्रश्न: जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हैं, उनके यहां दावत खाना और कुछ तोहफा व हद्या दें तो क़बूल करना शर्अ़न कैसा है?

उत्तर: जो लोग अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते हालांकि उनके ज़िम्मा ज़कात कर्ज़ है, वह सख़्त गुनहगार हैं और ज़कात उनके ज़िम्मा कर्ज़ है, कुर्आन में सराहत के साथ ज़कात अदा न करने वालों को सख़्त वईद सुनाई गई है और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में भी सख़्त सज़ा की ख़बर बताई गई है। (बुख़ारी शरीफः 1/188, किताबुज़्ज़कात) मगर इसकी वजह से दुन्या में उसका माल हराम नहीं कहलायेगा, इसलिए इनके यहां दावत खाना और उनकी तरफ़ से दिये गये हद्ये और तोहफे क़बूल करना दुरुस्त है, लेकिन तम्बीह करने के लिए कबूल न करना बेहतर है ताकि वह ज़कात अदा न करने की हरकत से बाज़ आ जाये।

(फतावा हिन्दियाः 5/343)

प्रश्न: गैर मुस्लिम अगर बतौरे हद्या कुछ दें या शादी विवाह के मौक़ों से दावत दें तो उनके हद्या क़बूल करना और दावतों में शिर्कत करना शर्अन कैसा है?

उत्तर: अगर हद्या हलाल माल का हो, इसी तरह अगर दावत में मुश्रिकाना तरीक़ा इख़्तियार न किया गया हो तो रवादारी के तौर पर हद्या क़बूल करना और दावतों में शरीक़ होना दुरुस्त है, इस्लाम में गैर मुस्लिमों के साथ अच्छे तअ़ल्लुक़ात रखने और रवादारी का मुआ़मला करने की इजाज़त है और हुस्ने नीयत के साथ इस किस्म का मुआ़मला करना बाइसे सवाब भी है।

(फतहुल बारीः 5/551)

❖❖❖

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ - ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 25.04.2020 तारीख

अहले खैर हज़रात से!

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि हज़रत मौलाना सैय्यद मो0 राबे हसनी नदवी दामत बरकातुहुम की सरपरस्ती में दारुल उलूम नदवतुल उलमा अपनी इल्मी व दीनी तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, और उन बहुमूल्य सिद्धान्तों एवं नियमों को सीने से लगाये हुए है जिनके लिए नदवतुल उलमा को स्थापित किया गया था, यानी नये ज़माने में इस्लाम की मुअस्सिर और सही तर्जुमानी, दीन व दुन्या की व्यापकता और इल्म व रुहानियत के एकता की कोशिश, फितन–ए–लादीनियत और ज़ेहनी इरतिदाद का मुकाबला, इस्लाम पर एतिमाद और उलूमेइस्लामिया की बरतरी व इम्तियाज़ का ऐलान व इज़हार, दीने हक से वफादारी और शरीअत पर इस्तिक़ामत।

आपसे हमारी अपील है कि वक़्त की इस ज़रूरत और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की इफ़ादियत को समझते हुए पूरी फराख़दिली, फ़य्याज़ी और हिम्मत से काम ले कर इन तमाम कामों में भरपूर तआउन व मदद फरमायें कि हिन्दुस्तान में दीन के किलों की हिफ़ाज़त का इससे बेहतर रास्ता और इससे ज़ियादा पायदार कोई सदक़–ए–जारिया नहीं।

जैसा कि आप को मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के मौक़े पर दारुल उलूम नदवतुल उलमा के असातिज़ा, सुफ़रा व मुहस्सिलीन आप हज़ारात की ख़िदमत में हाज़िर हो कर सद्क़ात व जक़ात व चन्दे की वसूलयाबी का काम अंजाम देत हैं लेकिन इस वक़्त पूरे मुल्क में क्रोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, ऐसे हालात में सफ़र करना ना मुम्किन है इसलिए आप के चन्दे की वसूलयाबी बैंक द्वारा ही मुम्किन है।

इसलिए आप हज़रात से अपील है कि अपने सद्क़ात व अतियात चेक/ड्राफ्ट और ऑन लाइन, नदवतुल उलमा के खातों में भेजें ऐसे नाज़ुक और मुश्किल हालात में नदवतुल उलमा के साथ आप का तआउन निहायत अहमियत रखता है, अल्लाह तआला हम सब की कोशिशों को कबूल फ़रमाये और उनको हमारे लिए ज़ख़ीर–ए–आख़िरत बनाये। आमीन

मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हयी हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

(प्रोफेसर) मु0 असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा–ए–करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **7275265518** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
A/C No. 10863759711 (अतियात)
A/C No. 10863759766 (ज़कात)
A/C No. 10863759733 (तअ़मीर)
SBI MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961** के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in

उर्दू सीखये –इदारा

नीचे लिखे उर्दू के जुमले पढिये,
मुश्किल आने पर बाद में लिखे हिन्दी जुमले से मदद लीजिए

حاکم کو ہاکم نہ پڑھیں۔
خادم کو کھادم نہ پڑھیں۔
ذاکر کو جاکر نہ پڑھیں۔
زینت کو جینت نہ پڑھیں۔
ضامن کو جامن نہ پڑھیں۔
ظالم کو جالم نہ پڑھیں۔
عابد کو آبد نہ پڑھیں۔
غزل کو گجل نہ پڑھیں۔
فرمان کو پھرمان نہ پڑھیں۔
قاسم کو کاسم نہ پڑھیں۔

हाकिम को हाकिम न पढ़ें।
ख़ादिम को खादिम न पढ़ें।
ज़ाकिर को जाकिर न पढ़ें।
ज़ीनत को जीनत न पढ़ें।
ज़ामिन को जामिन न पढ़ें।
ज़ालिम को जालिम न पढ़ें।
आ़बिद को आबिद न पढ़ें।
ग़ज़ल को गजल न पढ़ें।
फ़रमान को फरमान न पढ़ें।
क़ासिम को कासिम न पढ़ें।